INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

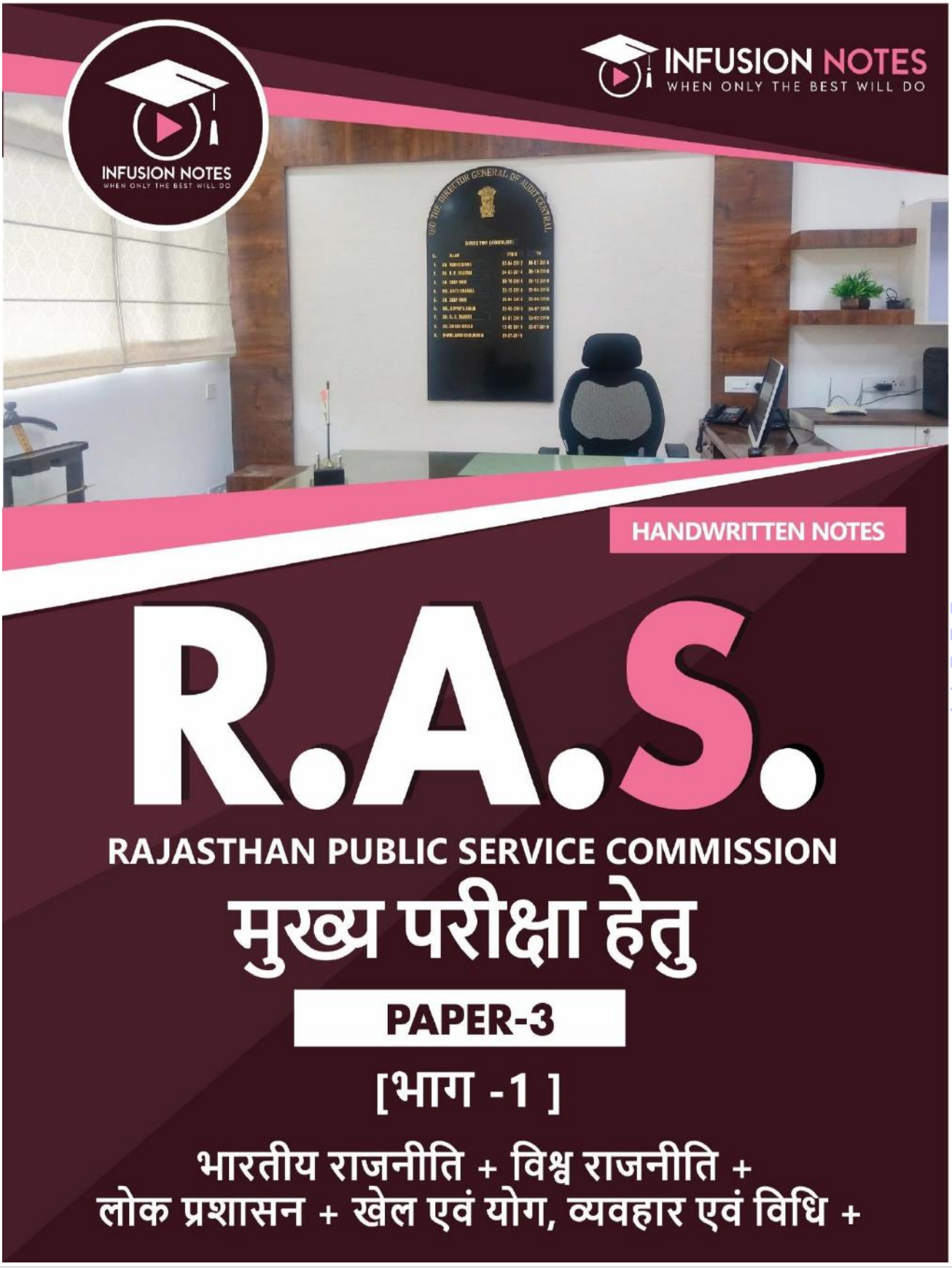

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, विश्व राजनीति एवं समसामयिक मामले

अध्याय- 1 भारत का संविधान : निर्माण, विशेषताएँ, संशोधन, मूल ढाँचा

अध्याय- 2 वैचारिक सत्व : उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य नीति के निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य

अध्याय- 3 संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद्, संसद

अध्याय- 4 संघवाद, केन्द्र-राज्य संबंध, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन,

अध्याय- 5 भारत निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, नीति आयोग, केन्द्रीय सतर्कता आयोग , केन्द्रीय सूचना आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

अध्याय- 6 राजनीतिक गत्यात्मकताएँ : भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, नृजातीयता, भाषा एवं लिंग की भूमिका, राजनीतिक दल एवं मतदान व्यवहार, नागरिक समाज एवं राजनीतिक आंदोलन, राष्ट्रीय अखंडता एवं सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, सामाजिक- राजनीतिक संघर्ष के संभावित क्षेत्र

अध्याय- 7 राजस्थान की राज्य - राजनीति : दलीय प्रणाली, राजनीतिक जनांकिकी, - चरण; पंचायती राज एवं नगरीय स्वशासन संस्थाएँ

अध्याय- 8 शीत युद्धोत्तर दौर में उदीयमान विश्व-व्यवस्था, 'संयुक्त राज्य अमरिका

FREE SAMPLE

का वर्चस्व एवं इसका प्रतिरोध, संयुक्त राष्ट्र एवं क्षेत्रीय संगठन इत्यादि

अध्याय– 9 भारत की विदेश नीति : उद्विकास, निर्धारक तत्व, संयुक्त राज्य अमरिका, चीन, रूस एवं यूरोपीय संघ एवं पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध, संयुक्त राष्ट्र, गुट निरपेक्ष आंदोलन, ब्रिक्स, जी- 20, जी- 77 एवं सार्क में भारत की भूमिका

अध्याय– 10 दक्षिण एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया एवं पश्चिम एशिया एवं सुदूर पूर्व में भू-राजनीतिक एवं रणनीतिक मुद्दे तथा उनका भारत पर प्रभाव

अध्याय– 11 समसामयिक-मामले : राजस्थान, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, व्यक्ति एवं स्थान, खेलकूद से जुड़ी हाल की गतिविधियाँ

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

इकाई ।।- लोक प्रशासन एवं प्रबंधन की अवधारणाएँ, मुद्दे एवं गत्यात्मकता

अध्याय– 1 प्रशासन एवं प्रबंध- अर्थ, प्रकृति एवं महत्व, विकसित एवं विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास, नवीन लोक प्रशासन, इत्यादि

अध्याय– 2 शक्ति, प्राधिकार, वैधता, उत्तरदायित्व एवं प्रत्यायोजन

अध्याय– 3 संगठन के सिद्धांत- पदसोपान, नियंत्रण का क्षेत्र एवं आदेश की एकता

अध्याय– 4 प्रबंधन के कार्य- निगमित अभिशासन एवं सामाजिक उत्तरदायित्व

अध्याय– 5 लोक सेवा के मूल्य एवं अभिवृत्ति- नैतिकता सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, गैर-पक्षधरता, लोक सेवा के लिए समर्पण, सामान्यज्ञ एवं विशेषज्ञ संबंध

अध्याय– 6 प्रशासन पर नियंत्रण : विधायी एवं कार्यपालिका एवं न्यायिक - विभिन्न साधन एवं सीमाएँ

अध्याय– 7 राजस्थान में प्रशासनिक ढाँचा एवं प्रशासनिक संस्कृति- राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रीपरिषद, राज्य सचिवालय, निदेशालय एवं मुख्य सचिव

अध्याय– 8 जिला प्रशासन : संगठन, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक की भूमिका, उपखण्ड एवं तहसील प्रशासन

अध्याय– 9 प्रशासनिक विकास- अर्थ, क्षेत्र एवं विशेषताएँ

अध्याय– 10 राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग एव राजस्थान लोक सेवा गारण्टी अधिनियम, 2011 एवं राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम अधिनियम, 2021

ईकाई ।।। - खेल एवं योग, व्यवहार एव विधि

खण्ड अ- खेल एवं योग

अध्याय– 1 भारत एवं राजस्थान राज्य की खेल नीति ।

INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO FREE SAMPLE

अध्याय- 2 भारतीय खेल प्राधिकरण एवं राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् ।

अध्याय- 3 राष्ट्रीय एवं राजस्थान राज्य के खेल पुरस्कार ।

अध्याय- 4 योग - सकारात्मक जीवन पद्धति ।

अध्याय- 5 भारत के विख्यात खेल व्यक्तित्व ।

अध्याय- 6 प्राथमिक उपचार एवं पुर्नवास ।

अध्याय- 7 भारतीय खिलाड़ियों की ओलम्पिक, एशियन खेल, कॉमनवेल्थ एवं पैरा – ओलम्पिक खेल में भागीदारी

खण्ड ब – व्यवहार

अध्याय- 1 बुद्धि : संज्ञानात्मक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि -सांस्कृतिक बुद्धि आध्यात्मिक बुद्धि ।

अध्याय- 2 व्यक्तित्व : शीलगुण व प्रकार, व्यक्तित्व के निर्धारक और व्यक्तित्व आंकलन ।

अध्याय- 3 अधिगम और अभिप्रेरणा : अधिगम की शैलियां, स्मृति के प्रारूप और विस्मृति के कारण अभिप्रेरणा का आंकलन ।

अध्याय- 4 प्रतिबल एवं प्रबंधन : प्रतिबल की प्रकृति, प्रकार, स्त्रोत, लक्षण एवं प्रभाव, प्रतिबल प्रबंधन मानसिक स्वास्थ्य का प्रोत्साहन ।

INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO
FREE SAMPLE

खण्ड स- विधि

अध्याय- 1 विधि की अवधारणा- स्वामित्व एवं कब्जा इत्यादि

अध्याय- 2 वर्तमान विधिक मुद्दे - सूचना का अधिकार, सूचना प्रौद्योगिकी विधि साइबर अपराध सहित (अवधारणा, उद्देश्य, प्रत्याशाएं), बौद्धिक सम्पदा अधिकार (अवधारणा, प्रकार एवं उद्देश्य)।

अध्याय- 3 स्त्रियों एवं बालकों के विरुद्ध अपराध- घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम,

बाल श्रमिकों से संबंधित विधि ।

अध्याय- 4 माता - पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण - पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 ।

अध्याय- 5 राजस्थान में महत्वपूर्ण भूमि विधियां-

(क) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

(ख) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955

FREE SAMPLE

नोट -

प्रिय छात्रों, Infusion Notes के RAS MAINS के sample notes आपको पीडीऍफ़ format में "फ्री" में दिए जा रहे हैं और complete Notes आपको Infusion Notes की website या (Amazon/Flipkart) से खरीदने होंगे जो कि आपको hardcopy यानि बुक फॉर्मेट में ही मिलेंगें | किसी भी व्यक्ति को sample पीडीऍफ़ या complete Course की पीडीऍफ़ के लिए भुगतान नहीं करना है | अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसकी शिकायत हमारे Phone नंबर 8233195718, 0141-4045784 पर करें, उसके खिलाफ क़ानूनी कार्यवाई की जाएगी |

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

अध्याय– I

भारत का संविधान : निर्माण, विशेषताएँ, संशोधन, मूल ढाँचा

- **संविधान संशोधन –**

- प्रिय दोस्तों, भारत के संविधान में संशोधन करने का उद्देश्य देश के मौलिक कानून या सर्वोच्च कानून को बदलावों के माध्यम से और मजबूत करना है। संविधान के भाग XX में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। (अनुच्छेद 368)
- संविधान संशोधन की प्रक्रिया न तो ब्रिटेन के समान लचीली है और न ही यूएसए के समान कठोर। यह दोनों का सम्मिलित रूप है। संसद सविधान में संशोधन तो कर सकती है लेकिन मूल ढांचे से जुड़े प्रावधानों को संशोधित नहीं कर सकती है। (केशवानन्द भारती वाद, 1973)
- संविधान संशोधन के प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं।
- अनुच्छेद 368 को 24वें और 42वें संशोधन द्वारा क्रमशः 1971 और 1976 में संशोधित किया गया है।

महत्त्वपूर्ण निर्णय : केशवानन्द भारती वाद, 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद संविधान के मूल ढांचे" में परिवर्तन नहीं कर सकती है।

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

संविधान संशोधन की प्रक्रिया (अनुच्छेद 368)

विधेयक की प्रस्तुति	संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता
कौन प्रस्तुत कर सकता है ?	इसे मंत्री या किसी भी निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।
राष्ट्रपति की भूमिका	ऐसे विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है।
पारित करने के लिए आवश्यक बहुमत	विशेष बहुमत सदन के कुल सदस्यों का बहुमत + सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। (50% + उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3)
सदन द्वारा पारित किया जाना	दोनों सदनों द्वारा विधेयक को विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है ।
संयुक्त अधिवेशन (अनुच्छेद 108)	संविधान संशोधन विधेयक पर सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है।

FREE SAMPLE

संघात्मक प्रावधानों में संशोधन	विशेष बहुमत + आधे राज्यों की विधानमंडल के साधारण बहुमत से संस्तुति
विधेयक को स्वीकृति देने में राष्ट्रपति की भूमिका	24वां संविधान संशोधन- इसके द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया कि संसद, संविधान के किसी भी प्रावधान को संशोधित कर सकती है। साथ यह भी प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति दोनों सदनों से पारित संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है ।
संविधान संशोधन में राज्य विधानमंडल की भूमिका	राज्य विधानमंडल में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है ।

साधारण बहुमत	**विशेष बहुमत**	**संसद का विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति**

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

· प्रत्येक सदन में उपस्थित एवं सदन के कुल सदस्यों का बहुमत मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत · यह एक सामान्य कानून पारित करने के ही समान है। · ऐसे संशोधनों को अनुच्छेद 368 के · तहत किया गया संशोधन नहीं माना जाता है। · उदाहरण: हाल ही में सर्वोच्च नयायालय के न्यायाधीशों की संख्या 31 से बढ़ाकर 34 की गयी है।	· सदन के कुल सदस्यों का बहुमत (रिक्तिया और अनुपस्थित सहित) और प्रत्येक सदन के उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत · उदाहरण: 103 संशोधन के माध्यम से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% आरक्षण।	· विशेष बहुमत + आधे राज्यों की विधानमंडल के साधारण बहुमत से संस्तुति। · ज्यादातर संघीय प्रावधानों इसी प्रक्रिया द्वारा संशोधित किया जाता है। · उदाहरण: जीएसटी से संबंधित 101वां संशोधन

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

विभिन्न प्रावधान और आवश्यक बहुमत के प्रकार

- नए राज्यों का प्रवेश/स्थापना (अनुच्छेद 2)
- नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन (अनुच्छेद 3)
- दूसरी अनुसूची (वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार)
- राज्यों में विधान परिषद का गठन/उत्सादन (अनुच्छेद 169)
- संसद में गणपूर्ति (अनुच्छेद 100)
- संसद सदस्यों का वेतन और भत्ता (अनुच्छेद 106)
- संसद की प्रक्रिया के नियम (अनुच्छेद 118)
- संसद में अंग्रेजी का उपयोग
- सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या

साधारण बहुमत

- संसद, उसके सदस्यों और समितियों के विशेषाधिकार (अनुच्छेद 105)
- सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि (अनुच्छेद 138)
- आधिकारिक भाषा का उपयोग (अनुच्छेद 343)
- नागरिकता (अनुच्छेद 5-11)
- संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव
- निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन (अनुच्छेद 82)

FREE SAMPLE

- छठवीं अनुसूची (अनुच्छेद 244)
- केंद्र शासित प्रदेश
- पांचवीं अनुसूची [अनुच्छेद 244 (1)]

विशेष बहुमत

- मूल अधिकार
- राज्य के नीति निदेशक तत्व
- वे सभी प्रावधान जो अन्य 2 प्रकारों में शामिल नहीं हैं।

संसद का विशेष बहुमत आधे + राज्यों की सहमति

- राष्ट्रपति का निर्वाचन और निर्वाचन की रीति (अनुच्छेद 54, 55)
- केंद्र और राज्यों की कार्यकारी शक्तियों में विस्तार
- सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 124 और 214)
- केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण
- सातवीं अनुसूची (अनुच्छेद 246)
- संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व
- अनुच्छेद 368

हालिया संविधान संशोधन

FREE SAMPLE

99वां संशोधन 2014	राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग
100वां संशोधन 2015	भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा क्षेत्र में कुछ भू-भागों का आदान-प्रदान
101वां संशोधन 2017	1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया जाना
102वां संशोधन 2018	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा
103वां संशोधन 2019	103वें संशोधन के माध्यम से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% आरक्षण।
104वां संशोधन 2020	लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की समय सीमा में वृद्धि

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

संशोधन प्रक्रिया की आलोचना

राज्य विधानमंडल में संशोधन की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती (सिर्फ संसद द्वारा ही) + राज्य सिर्फ एक ही संशोधन के लिय प्रस्ताव कर सकती है राज्य विधान परिषद के गठन के लिए संविधान में यह समय सीमा नहीं दी गयी है कि राज्य विधानमंडल कितने दिनों के अंदर संशोधन विधेयक पर संस्तुति देगी या नहीं देगी + संविधान इस बात पर भी मौन है कि एक बार संस्तुति देने के बाद राज्य विधानमंडल अपनी संस्तुति को वापस ले सकता है या नहीं + संशोधन के लिए विशेष संस्था का अभाव कुछ ही मामलों में राज्य विधानमंडल की संस्तुति की आवश्यकता + संयुक्त सत्र का कोई प्रावधान न होना + अस्पष्ट प्रावधानों के कारण न्यायालयीन हस्तक्षेप की व्यापक संभावना।

संविधान संशोधन (अनु. 368)

संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया को बताया गया है। संविधान संशोधन की तीन विधियों को अपनाया गया है।

1. साधारण बहुमत द्वारा संशोधन

2. विशेष बहुमत द्वारा संशोधन

3. विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्य के विधान मंडलों के अनुमोदन द्वारा संशोधन

1. **साधारण विधि** : संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बन जाता है। इसके अन्तर्गत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मिलने पर निम्न संशोधन किए जा सकते हैं । (1) नये राज्यों का निर्माण (2) राज्य क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन

2. **विशेष बहुमत द्वारा संशोधन** : यदि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2 मतों से विधेयक पारित

हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही वह संशोधन संविधान का अंग बन जाता है। न्यायपालिका तथा राज्यों के अधिकारों तथा शक्तियों जैसी कुछ विशिष्ट बातों को छोड़कर संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाओं में इसी प्रक्रिया के द्वारा संशोधन किया जाता है ।

3. **संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधान मंडलों की स्वीकृति से संशोधन** : संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन के लिए विधेयक को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत तथा राज्यों के कुल विधान मण्डलों में से आधे द्वारा स्वीकृति आवश्यक है। इसके द्वारा किए जाने वाले संशोधन के विषय प्रमुख हैं।

(i) राष्ट्रपति का निर्वाचन

(ii) राष्ट्रपति निर्वाचन की कार्य पद्धति

(iii) संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार

(iv)राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार

(v) संविधान संशोधन की प्रक्रिया से सम्बन्धित प्रावधान

प्रमुख संशोधन

भारतीय संविधान में संशोधित हुए प्रमुख संशोधन हैं -

चौथा संशोधन (1955) : इसके अनुसार व्यवस्था की गई कि राज्य किसी सरकारी उद्देश्य को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत जायदाद का अधिगृहण कर सकता है। इसके अतिरिक्त मुआवजे के लिए निर्धारित की गई राशि की मात्रा को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

नौवाँ संशोधन (1960) : इसके द्वारा संविधान की प्रथम अनुसूची में परिवर्तन किया गया । इस परिवर्तन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि 1958 के भारत-पाकिस्तान सीमा समझौते के मध्य भारत का कुछ भाग पाकिस्तान को देना था।

FREE SAMPLE

दसवाँ संशोधन (1961) : पुर्तगाली बस्तियों दादरा एवं नगर हवेली को भारत संघ में शामिल करके शासन का भार राष्ट्रपति को सौंपा गया।

16वाँ संशोधन (1963) : इस संशोधन द्वारा राज्यों की सरकारों को अधिकार दिया गया कि वह देश की एकता और अखंडता के लिए मूल अधिकारों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा सकती हैं।

26वाँ संशोधन (1971) : इस संशोधन द्वारा भारतीय रियासतों के शासकों के प्रिवीपर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त किया गया। यह संशोधन माधव राव के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप पारित किया गया

36वाँ संशोधन (1975) : सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण सदस्य बनाने और उसे संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल करने और सिक्किम को राज्यसभा और लोकसभा में एक एक स्थान देने के लिए यह अधिनियम बनाया गया ।

42वाँ संशोधन (1976) : इस संशोधित विधेयक की निम्न शर्ते हैं - संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी धर्म निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द और राष्ट्र की एकता और अखंडता' शब्द रखे गए ।

44वाँ संशोधन (1978) : संपत्ति के अधिकार को, जिसके कारण संविधान में कई संशोधन करने पड़े, मूल अधिकार के रूप में हटाकर केवल वैधिक अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 352 का अनुशोधन किया गया कि आपात स्थिति की घोषणा के लिए एक कारण 'सशस्त्र विद्रोह होगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को

FREE SAMPLE

नोट – प्रिय पाठकों , **यह एक sample मात्र है** यह अध्याय अभी यहीं समाप्त नही हुआ है, इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको **RAS मुख्य परीक्षा के** कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यह तो एक sample मात्र ही है/ **RAS मुख्य परीक्षा के** कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें , धन्यवाद/

संपर्क करें – 8233195718, 9694804063, 8504091672

हमारे नोट्स के अन्य परीक्षाओं में रिजल्ट (Result)-

RAS Pre. परीक्षा 2021 में हमारे नोट्स में से 73/74 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 23 अक्तूबर की पहली शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 79 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 23 अक्तूबरकी दूसरी शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 103 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 24 अक्तूबर की पहली शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 96 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 24 अक्तूबर की दूसरी शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 91 प्रश्न आये

राजस्थान SI 2021 की परीक्षा कि परीक्षा में भी कई प्रश्न आये हैं -

Proof देखने के लिए हमारे youtube चैनल (InfusionNotes) पर इसकी वीडियो देखें या हमारे नंबरों पर कॉल करें /

FREE SAMPLE

- **मूल ढांचा**

मूल ढांचा का विकास -

"बेसिक स्ट्रक्चर (बुनियादी ढांचा)" शब्द का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं किया गया है। लोगों के बुनियादी अधिकारों और संविधान के आदर्शों और दर्शन की रक्षा के लिए समय-समय पर न्यायपालिका के हस्तक्षेप के साथ यह अवधारणा धीरे-धीरे विकसित हुयी।

संविधान की आधारभूत संरचना का तात्पर्य संविधान में निहित उन प्रावधानों से है, जो संविधान और भारतीय राजनीतिक और लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करता है। इन प्रावधानों को संविधान में संशोधन के द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता है। वस्तुतः ये प्रावधान अपने आप में इतने महत्त्वपूर्ण हैं कि इनमें नकारात्मक बदलाव से संविधान का सार-तत्त्व, जो जनमानस के विकास के लिये आवश्यक है, नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा।

यद्यपि संविधान में आधारभूत ढाँचा वस्तुनिष्ठ रूप से उल्लिखित नहीं है किंतु न्यायालय के विभिन्न वादों के निर्णयों के माध्यम से इसे स्पष्टतः समझा जा सकता है। भारत में संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत को केशवानंद भारती मामले से जोड़ कर देखा जा सकता है। संविधान के 24वें संशोधन पर विचार करते समय न्यायालय ने निर्णय दिया कि विधायिका अनु. 368 के तहत संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती। न्यायालय का एक तर्क यह था कि संविधान सभा का महत्त्व वर्तमान के विधायिका की तुलना में अधिक है, इसलिये विधायिका संविधान के सार-तत्त्व को नहीं बदल सकती। साथ ही इसमें संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की धर्मनिरपेक्षता, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा जैसे तत्त्वों को संविधान की आधारभूत संरचना का भाग बताया गया है।

आगे, न्यायपालिका के विभिन्न निर्णयों में इसे महत्त्व प्रदान करते हुए कई अन्य महत्त्वपूर्ण प्रावधानों को संविधान के आधारभूत ढाँचे का भाग बताया गया। इसे निम्न रूप में देखा जा सकता है :-

- इंदिरा गाँधी मामले में न्यायिक समीक्षा तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को संविधान की आधारभूत अवसंरचना का भाग माना गया।
- मिनर्वा मिल्स मामले में न्यायिक समीक्षा के अलावा मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन को संविधान के आधारभूत ढाँचे का भाग माना गया।
- उसी प्रकार सेन्ट्रल कोलफील्ड मामले में 'न्याय तक प्रभावी पहुँच', भामसिंह जी मामले में 'कल्याणकारी राज्य की अवधारणा' तथा इंदिरा साहिनी मामले में कानून के शासन को आधारभूत ढाँचे का भाग माना गया।

आधारभूत ढाँचे के निर्णय में एस. आर. बॉम्बे मामला एक मील का पत्थर है। इसमें

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

नोट – प्रिय पाठकों , **यह एक sample मात्र है** यह अध्याय अभी यहीं समाप्त नही हुआ है, इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको **RAS मुख्य परीक्षा के** कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यह तो एक sample मात्र ही है/ **RAS मुख्य परीक्षा के** कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें , धन्यवाद/

संपर्क करें – 8233195718, 9694804063, 8504091672

हमारे नोट्स के अन्य परीक्षाओं में रिजल्ट (Result)-

whatsapp- https://wa.link/g840vp 9 website- https://bit.ly/ras-mains-notes

RAS Pre. परीक्षा 2021 में हमारे नोट्स में से 73/74 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 23 अक्तूबर की पहली शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 79 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 23 अक्तूबरकी दूसरी शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 103 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 24 अक्तूबर की पहली शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 96 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 24 अक्तूबर की दूसरी शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 91 प्रश्न आये

राजस्थान SI 2021 की परीक्षा कि परीक्षा में भी कई प्रश्न आये हैं -

Proof देखने के लिए हमारे youtube चैनल (InfusionNotes) पर इसकी वीडियो देंखें या हमारे नंबरों पर कॉल करें।

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

अध्याय– 2

वैचारिक सत्व : उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य नीति के निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य

- **मौलिक अधिकार**

भारत के संविधान के भाग तीन में अनु. 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित प्रावधान हैं ।

मौलिक अधिकारों की अवधारणा को U.S.A से अपनाया गया है। भारत की व्यवस्था में मौलिक अधिकारों के निम्नलिखित महत्त्व हैं ।

(1) मौलिक अधिकारों के माध्यम से राजनीतिक एवं प्रशासनिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। अर्थात कोई भी नागरिक प्रत्यक्ष अथवा अ प्रत्यक्ष रूप में राजनीति में भागीदारी कर सकता है और प्रत्येक नागरिक अपनी योग्यता के आधार पर प्रशासन का हिस्सा बन सकता है।

(2) मौलिक अधिकारों के माध्यम से सरकार की तानाशाही अथवा व्यक्ति विशेष की इच्छा पर नियंत्रण स्थापित होता है।

(3) मौलिक अधिकारों के माध्यम से व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा स्थापित होती है ।

(4) मौलिक अधिकारों के माध्यम से विधि के शासन की स्थापना होती है।

(5) मौलिक अधिकारों के माध्यम से अल्पसंख्यक और दुर्बल वर्ग को सुरक्षा प्राप्त होती है।

FREE SAMPLE

(6) मौलिक अधिकारों के माध्यम से पंथनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को सुरक्षा प्राप्त होती है और इसको बढ़ावा मिलता है।

(7) मौलिक अधिकार सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय यात्रा की स्थापना करते हैं।

(8) मौलिक अधिकारों के माध्यम से व्यक्ति की गरिमा एवं सम्मान की रक्षा होती है।

(9) मौलिक अधिकार सार्वजनिक हित एवं राष्ट्र की एकता को बढ़ावा देते हैं ।

मौलिक अधिकारों की विशेषताएँ

(1) मौलिक अधिकार न्यायालय में वाद योग्य हैं । अर्थात मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सुरक्षा के लिए न्यायालय में अपील की जा सकती है।

(2) कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों से सम्बंधित है। जबकि कुछ मौलिक अधिकार व्यक्ति से संबंधित है।

(3) मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबन्ध लगाया गया है।

(4) मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्रदान किए गये हैं । इसलिए ये राज्य के लिए नकारात्मक जबकि व्यक्ति के लिए सकारात्मक है।

(5) ये राज्य के प्राधिकार को कम करते हैं और व्यक्ति के सम्मान को बढ़ावा देते हैं ।

(6) संसद को भी यह अधिकार नही कि वह मौलिक अधिकार से सम्बंधित मूल ढ़ाचे में परिवर्तन कर सके । (नकारात्मक परिवर्तन)

(7) आपातकाल के समय अनु० 20 और 21 के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं।

FREE SAMPLE

(8) मौलिक अधिकार शत्रु देश के नागरिक तथा अन्य देशों को प्राप्त नहीं हैं।

<u>मौलिक अधिकारों की आलोचना</u> –

(1) इनका कोई स्पष्ट दर्शन नहीं है। अधिकांश मौलिक अधिकारों की व्याख्या उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय पर छोड़ दी गई है।

(2) इनमें स्पष्टता का अभाव है और ये सामान्य लोगों की समझ से बाहर हैं।

(3) मौलिक अधिकार आर्थिक व्यय की स्थापना नहीं करते हैं ।

(4) आपातकाल के समय इनका निलबन हो जाता है ।

(5) निवारक निरोध जैसे प्रावधान मौलिक अधिकारों को कमजोर करते हैं और राज्य को नागरिकों पर हावी कर देते हैं ।

(6) संसद के अधिकार हैं कि अनुछेद - 368 का प्रयोग कर इनमें कमी कर सकते हैं ।

(7) मौलिक अधिकारों के सम्बन्ध में मिलने वाला न्याय अत्यधिक महंगा है तथा प्रकिया जटिल है।

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

अनु. 12 राज्य -	अनु. 13 विधि-
(i) संघ सरकार एवं संसद (ii) राज्य सरकार एवं विधानमंडल (iii)स्थानीय प्राधिकरण/प्राधिकारी (iv)सार्वजनिक अधिकारी अन्य वे निजी संस्थाएँ जो राज्य के लिए कार्य करती हो।	कोई भी विधि जो मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करती है तो अतिक्रमण की सीमा तक शून्य हो जाएगी। (i) स्थाई विधि- संसद एवं विधानमण्डल द्वारा निर्मित। (ii) अस्थाई विधि- जब राष्ट्रपति व राज्यपाल अध्यादेश जारी करे। (iii)कार्यपालिका के द्वारा निर्मित नियम/विधि (iv)ऐसी विधि जो संविधान पूर्व की हो।

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

(I) समता का अधिकार :-(अनु.14-18)

(i) विधि के समक्ष एवं विधियों का समान संरक्षण-

संविधान के अनु० 14 में विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का प्रावधान है। विधि के समक्ष समता की अवधारणा ब्रिटेन से प्रभावित है। विधि के समक्ष समता से आशय है, विधि सर्वोच्च होगी। और कोई भी विधिक व्यक्ति विधि से ऊपर नही होगा।

विधि के समक्ष समता की निम्न लिखित विशेषताएँ होती हैं –

(a) कोई भी व्यक्ति (गरीब, अमीर, प्राधिकारी अथवा सामान्य व्यक्ति, सरकारी संगठन गैर सरकारी संगठन)

विधि से ऊपर नही होगा ।

(b) किसी भी व्यक्ति के लिए अथवा व्यक्ति के पक्ष में विशेषाधिकार नहीं होंगे।

(c) न्यायालय सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करेगा ।

विधि के समक्ष समता के सिद्धांत के भारत के संबंध में निम्नलिखित अपवाद हैं ।

(i) भारत का राष्ट्रपति अथवा राज्यों के राज्यपाल पर पद पर रहते हुए किसी भी प्रकार का आपराधिक मुकदमा नही चलाया जाएगा।

(ii) राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के इन पदों पर रहते हुए लिए गए निर्णयों के सम्बन्ध में न्यायालय में प्रश्नगत नही किया जाएगा ।

(iii) कोई व्यक्ति यदि संसद अथवा राज्य विधानमंडल की कार्यवाही को उसी रूप में प्रकाशित करता है तो उसे दोषी नही माना जाएगा ।

(iv) संसद अथवा राज्य विधानमंडल के सदस्यों को सदन की कार्यवाही के आरम्भ होने के 40 दिन पूर्व तथा कार्यवाही के समाप्त होने के 40 दिन बाद तक किसी दीवानी मामले में न्यायालय में उपस्थित होने के लिए बाध्य नही किया जाएगा ।

(v) विदेशी राजनयिक अथवा कूटनीतिज्ञ फ़ौजदारी मामलो एवं दीवानी मामलो से मुक्त होंगे ।

(vi) अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे – UNO, ADB, WB, IMF आदि के अधिकारी एवं कर्मचारी दीवानी एवं फौजदारी मामलो से मुक्त होंगे ।

FREE SAMPLE

विधियों के समान संरक्षण की अवधारणा U.S.A. की देन हैं ।

विधियों के समान संरक्षण से आशय हैं । "समान के साथ समान व्यवहार तथा असमान के साथ असमान व्यवहार"

इस अवधारणा को सकारात्मक माना जाता हैं, क्योंकि इसके माध्यम से किसी के साथ अन्याय नही होता ।

भारत में बाल सुधार कानून, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए विशेष कानून, महिलाओं के लिए विशेष कानून इसका उदाहरण हैं ।

कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिशेद

अनु. 15 में यह प्रावधान हैं कि राज्य किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल, वेश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नही करेगा । यह व्यवस्था राज्य और व्यक्ति दोनों पर समान रूप से लागू होती हैं ।

इसमें प्रावधान हैं कि राज्य के द्वारा दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटल, मनोरंजन के स्थान आदि पर उपर्युक्त आधारों पर भेदभाव नही किया जाएगा । इसके अलावा राज्य निधि से पोषित कुओं, तालाबों, स्नानाघाट आदि का प्रयोग करने से किसी व्यक्ति को उपर्युक्त आधारों पर रोका नही जाएगा ।

इसमें यह भी प्रावधान हैं कि राज्य महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता हैं ।

इसमें यह भी व्यवस्था हैं कि राज्य SC,ST तथा शैक्षणिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थाओ में आरक्षण कर सकता हैं ।

FREE SAMPLE

इसमें प्रावधान है कि राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण कर सकता है।

लोक नियोजन के सम्बन्ध में अवसर की समता (अनु०- 16)

अनु. 16 में यह प्रावधान है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में अवसर की समता होगी। केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर

नोट – प्रिय पाठकों , **यह एक sample मात्र है** यह अध्याय अभी यहीं समाप्त नही हुआ है, इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको **RAS मुख्य परीक्षा के** कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यह तो एक sample मात्र ही है/ **RAS मुख्य परीक्षा के** कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें , धन्यवाद/

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

संपर्क करें – 8233195718, 9694804063, 8504091672

हमारे नोट्स के अन्य परीक्षाओं में रिजल्ट (Result)-

RAS Pre. परीक्षा 2021 में हमारे नोट्स में से 73/74 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 23 अक्तूबर की पहली शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 79 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 23 अक्तूबरकी दूसरी शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 103 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 24 अक्तूबर की पहली शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 96 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 24 अक्तूबर की दूसरी शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 91 प्रश्न आये

राजस्थान SI 2021 की परीक्षा कि परीक्षा में भी कई प्रश्न आये हैं -

Proof देखने के लिए हमारे youtube चैनल (InfusionNotes) पर इसकी वीडियो देंखें या हमारे नंबरों पर कॉल करें।

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

अध्याय -3

संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद्, संसद

- **भारत में संसदीय प्रणाली-**

भारत में सरकार की एक संसदीय प्रणाली है। अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 केंद्र में संसदीय प्रणाली और अनुच्छेद 163 और 164 राज्यों में संसदीय प्रणाली के बारे में है। संसदीय प्रणाली के कई गुण हैं और राष्ट्रपति प्रणाली के मुकाबले कई लाभ भी। सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली को कार्यपालिका और विधायिका के बीच के रिश्तों के आधार पर संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली में बांटा जा सकता है। संसदीय प्रणाली में कार्यकारी विधायिका के हिस्से होते हैं जो कानून को लागू करने और उसे बनाने में सक्रिए भूमिका निभाते हैं।

सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली को कार्यपालिका और विधायिका के बीच के रिश्तों के आधार पर संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली में बांटा जा सकता है। संसदीय प्रणाली में कार्यकारी विधायिका के हिस्से होते हैं जो कानून को लागू करने और उसे बनाने में सक्रिए भूमिका निभाते हैं।

संसदीय प्रणाली में, राज्य का प्रमुख एक सम्राट या राष्ट्रपति/ अध्यक्ष हो सकता है लेकिन ये दोनों ही पद नियमानुसार/ औपचारिक हैं। सरकार का प्रमुख जिसे आम तौर पर प्रधानमंत्री कहा जाता है, वही वास्तविक प्रमुख होता है। इसलिए, सभी वास्तविक कार्यकारिणी शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं। मंत्रिमंडल में कार्यकारिणी शक्तियां होने की वजह से संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार भी कहते हैं। अनुच्छेद 74 और 75 केंद्र में संसदीय प्रणाली और अनुच्छेद 163 और 164 राज्य में संसदीय प्रणाली के बारे में है।

संसदीय प्रणाली के तत्व और विशेषताएं -

नीचे संसदीय प्रणाली के तत्व और विशेषताएं बताईं गईं हैं

1. नाममात्र का और वास्तविक प्रमुखः राज्य का प्रमुख औपचारिक पद पर होता है और वह नाममात्र का कार्यकारी होता है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रपति।
   भारत में, सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है जो वास्तविक कार्यकारी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को नियुक्त किए जाने की बात कहता है। अनुच्छेद 74 के अनुसार मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करने वाले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को उनके कार्यों को करने में सहायता और परामर्श देंगे।

1. कार्यकारिणी विधायिका का एक हिस्सा है– कार्यकारिणी विधायिका का हिस्सा है। भारत में, किसी व्यक्ति को कार्यकारिणी का सदस्य बनने के लिए उसे संसद का सदस्य होना चाहिए। हालांकि, संविधान यह सुविधा प्रदान करता है कि अगर कोई व्यक्ति संसद सदस्य नहीं है तो उसे अधिकतम लगातार छह माह की अवधि तक मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, उसके बाद वह व्यक्ति मंत्री पद पर नहीं रह सकता (यदि वह छह माह के अन्दर संसद का सदस्य नहीं बनता है तो)।
2. **बहुमत दल नियमः** लोकसभा चुनावों में अधिक सीटों पर जीत दर्ज करने वाला दल सरकार बनाता है। भारत में राष्ट्रपति, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। राष्ट्रपति इस नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं और बाकी के मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। अगर किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में, राष्ट्रपति दलों के गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं।
3. **सामूहिक जिम्मेदारीः** मंत्री परिषद संसद के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। संसद का निचला सदन अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सरकार को बर्खास्त कर सकता है। भारत में, जब तक लोकसभा में बहुमत रहता है तभी तक सरकार रहती है। इसलिए, लोकसभा के पास सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का अधिकार होता है।

4. ***सत्ता के केंद्र में प्रधानमंत्री:*** *भारत में प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी होते हैं। वे सरकार, मंत्रिपरिषद और सत्तारूढ़ सरकार के प्रमुख होते हैं। इसलिए, सरकार के कामकाज में उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है।*
5. ***संसदीय विपक्ष:*** *संसद में कोई भी सरकार शत- प्रतिशत बहुमत प्राप्त नहीं कर सकती। विपक्ष राजनीतिक कार्यकारी द्वारा अधिकार के मनमाने ढंग से उपयोग की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।*
6. ***स्वतंत्र लोक सेवा:*** *लोक सेवक सरकार को परामर्श देते हैं और उनके फैसलों को लागू करते हैं। मेधा- आधारित चयन प्रक्रिया के आधार पर लोक सेवकों की स्थायी नियुक्ति की जाती है। सरकार बदलने के बाद भी उनकी नौकरी की निरंतरता बनी रहती है। लोक सेवा कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के निष्पादन में दक्षता सुनिश्चित करता है।*
7. ***दो सदनों वाली विधायिका:*** *भारत समेत, अधिकांश देश संसदीय प्रणाली अपनाते हैं और वहां दो सदनों वाली विधायिका है। इन सभी देशों के निचले सदन के सदस्यों का चुनाव जनता करती है। निचला सदन सरकार के कार्यकाल पूरा होने या बहुमत की कमी की वजह से सरकार न बना पाने की वजह से भंग किया जा सकता है। भारत में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर लोकसभा भंग कर सकते हैं।*
8. ***गोपनीयता:*** *इस प्रणाली में कार्यकारिणी के सदस्यों को कार्यवाहियों, कार्यकारी बैठकों, नीतिनिर्माण आदि जैसे मामलों में गोपनीयता के सिद्धांत का पालन करना होगा। भारत में, अपने कार्यालय में प्रवेश से पहले मंत्री गोपनीयता की शपथ लेते हैं।*

संसदीय प्रणाली के लाभ

राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में संसदीय प्रणाली के निम्नलिखित लाभ हैं-

विभिन्न प्रकार के समूहों का प्रतिनिधित्व: *सरकार का संसदीय स्वरूप कानून और नीति निर्माण में विभिन्न जातीय, नस्ली, भाषाई और वैचारिक समूहों को अपने विचार साझा करने का*

नोट – प्रिय पाठकों , **यह एक sample मात्र है** यह अध्याय अभी यहीं समाप्त नही हुआ है, इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको **RAS मुख्य परीक्षा के** कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यह तो एक sample मात्र ही है/ **RAS मुख्य परीक्षा के** कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें , धन्यवाद/

संपर्क करें – 8233195718, 9694804063, 8504091672

हमारे नोट्स के अन्य परीक्षाओं में रिजल्ट (Result)-

RAS Pre. परीक्षा 2021 में हमारे नोट्स में से 73/74 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 23 अक्तूबर की पहली शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 79 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 23 अक्तूबरकी दूसरी शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 103 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 24 अक्तूबर की पहली शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 96 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 24 अक्तूबर की दूसरी शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 91 प्रश्न आये

राजस्थान SI 2021 की परीक्षा कि परीक्षा में भी कई प्रश्न आये हैं -

Proof देखने के लिए हमारे youtube चैनल (InfusionNotes) पर इसकी वीडियो देंखें या हमारे नंबरों पर कॉल करें /

FREE SAMPLE

- **राष्ट्रपति -**

- *भारत में 'राष्ट्रप्रमुख' के रूप में राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था को अपनाया गया है। ब्रिटिश क्राउन और अमेरिकी राष्ट्रपति से भिन्न, संविधान निर्माताओं ने भारतीय व्यवस्था के अनुरूप इस पद के एक संतुलित स्वरूप को अपनाया। गणतांत्रिक प्रणाली होने के कारण संविधान में 'निर्वाचित राष्ट्रपति' के प्रावधान को शामिल किया गया।*

।..।. कार्यपालिका प्रमुख

- *मंत्रिमंडलीय कार्यपालिका में सामान्यतः दो प्रमुख होते हैं: एक 'वास्तविक प्रमुख' एवं दूसरा 'नाममात्र या औपचारिक प्रमुख'। भारत में राष्ट्रपति नाममात्र प्रमुख है। तथा राष्ट्रपति कार्यालय की प्रकृति काफी सीमा तक औपचारिक है।*

- *शासन व्यवस्था में औपचारिक प्रमुख की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है:*

- *राष्ट्र प्रमुख के रूप में: राष्ट्रपति देश की एकता, अखण्डता एवं एकजुटता का प्रतीक है। अतः व्यवहारिक रूप से राजप्रमुख न होते हुए भी भारतीय राष्ट्रपति को राष्ट्रप्रमुख की भूमिका प्रदान की गयी है।*

- *दलगत राजनीति से मुक्त रखने हेतु: राष्ट्रपति कार्यालय को दलगत राजनीति से ऊपर माना जा सकता है।*

- *प्रशासन की निरंतरता हेतु: मंत्रिपरिषद का कार्यकाल अनिश्चित होता है और यह लोकसभा में बहुमत पर निर्भर करता है। ऐसे में प्रशासन में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एक निश्चित कार्यकाल वाले कार्यालय का होना आवश्यक है।*

- *संघवादी स्वरूप को बनाए रखने हेतु: भारत के संदर्भ में एक अतिरिक्त कारण, संघवाद भी है। राज्य विधानसभाओं के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति संघ के अतिरिक्त राज्यों का भी प्रतिनिधित्व करता है।*

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

- संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है ।

- अनुच्छेद 52 के अनुसार, भारत का एक राष्ट्रपति होगा । यहाँ "होगा" शब्द के लिए "shall" का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है कि भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर सदैव विद्यमान होगा । यह पद न तो कभी रिक्त रखा जा सकता है और न ही इसे कभी समाप्त किया जा सकता है । राष्ट्रपति का चुनाव, इसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही संपन्न करवाए जाने का प्रावधान किया गया है । अस्वस्थता के कारण अस्थायी अनुपस्थिति आदि के मामले में उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का पद धारण करेगा जब तक कि राष्ट्रपति अपना पदभार पुनर्ग्रहण न करें ।

1.2. स्थायी कार्यपालिका एवं अस्थायी कार्यपालिका

अनुच्छेद 53 (1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा ।

विवरण

- राष्ट्रपति, अपनी इस कार्यपालिकीय शक्ति का प्रयोग मुख्यतः दो प्रकार के अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है ।

- स्थायी कार्यपालिका या नौकरशाही

- अस्थायी या राजनीतिक कार्यपालिका

- स्थायी कार्यपालिका या नौकरशाही

- स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाएँ (IAS, IPS, IFoS), प्रांतीय सेवाएँ] स्थानीय सरकार के कर्मचारी और लोक उपक्रमों के तकनीकी एवं प्रबंधकीय अधिकारी सम्मिलित होते हैं ।

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

- नौकरशाही अथवा स्थायी कार्यपालिका की आवश्यकता क्यों ?
- संविधान निर्माता ब्रिटिश शासन के दौरन अपने अनुभव से गैर-राजनीतिक एवं व्यावसायिक रूप से दक्ष प्रशासनिक मशीनरी के महत्त्व को जानते थे ।
- नौकरशाही, वह माध्यम हैं जिसके द्वारा सरकार की लोकहितकारी नीतियाँ जनता तक igqWaprh हैं ।
- सरकार के स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले ये प्रशिक्षित एवं प्रवीण अधिकारी, नीतियों को बनाने व उसे लागू करने में मंत्रियों का सहयोग करते हैं ।
- वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में नीति-निर्माण एक अत्यंत ही जटिल कार्य बन गया है जिसके लिए विशेषज्ञता एवं गहन ज्ञान की आवश्यकता है । इसके लिए दक्ष एवं स्थायी कार्यपालिका की आवश्यकता है।
- राजनीतिक या अस्थायी कार्यपालिका का ध्यान सामान्यतः नीति-निर्माण एवं क्रियान्वयन में अल्पकालीन राजनीतिक लाभ पर केंद्रित होता है । जबकि, स्थायी कार्यपालिका दीर्घकालीन समाजिक - आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही नीति-निर्माण एवं क्रियान्वयन में मंत्रियों को परामर्श देती है ।
- सरकारों के बदलने के बावजूद भी स्थायी कार्यपालिका, नीतियों में निरंतरता एवं लोकप्रशासन में एकरूपता बनाए रखने में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान देती है ।
- स्थायी कार्यपालिका एवं राजनीतिक कार्यपालिका के मध्य संबंध
- संसदीय शासन प्रणाली में, राजनीतिक कार्यपालिका (मंत्रीपरिषद, प्रधानमंत्री सहित) सरकार के प्रभारी होते हैं एवं स्थायी कार्यपालिका या प्रशासन इनके नियंत्रण एवं देखरेख में होता है ।
- यह मंत्री की जिम्मेदारी है कि वह प्रशासन पर राजनीतिक नियंत्रण रखे ।

FREE SAMPLE

- राजनीतिक कार्यपालिका, जहाँ सामूहिक रूप से लोकसभा या विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, वहीं स्थायी कार्यपालिका या नौकरशाही अपने संबंधित विभागों के मंत्रियों के प्रति उत्तरदायी होती है ।

- नौकरशाही से यह अपेक्षा की जाती है कि यह राजनीतिक रूप से तटस्थ हो, अर्थात् नौकरशाही, नीतियों पर विचार करते समय किसी राजनीतिक दृष्टिकोण या विचारधार का समर्थन नहीं करेगी ।

- लोकतंत्र में सरकारों के बदलने पर नौकरशाही की जिम्मेदारी है कि वह नई सरकार को अपनी नीति बनाने एवं लागू करने में मदद करें ।

- हमारा संविधान राष्ट्रपति के पद का सृजन करता है किंतु शासन की प्रणाली राष्ट्रपतीय नहीं है । शासन की राष्ट्रपतीय और संसदीय प्रणाली को समझना एवं उनके भेद जानना आवश्यक है । राष्ट्रपति प्रणाली के मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं:

- राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष होता है और साथ ही शासनाध्यक्ष भी । वह राज्य व्यवस्था में शीर्षस्थ होता है । वह वास्तव में कार्यपालक होता है, नाममात्र का नहीं । उसमें जो शक्तियाँ निहित हैं उनका वह व्यवहार में और वास्तव में उपयोग करता है।

- सभी कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है । राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मंत्रिमंडल उसे केवल सलाह देता है यह आवश्यक नही है कि वह उनकी सलाह माने । वह उनकी सलाह लेकर अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकता है ।

- राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है । राष्ट्रपति के पद की अवधि विधान-मंडल की इच्छा पर आश्रित नहीं है । विधान-मंडल न तो राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है और न उसे उसके पद से हटा सकता है ।

- राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के सदस्य, विधान मंडल के सदस्य नहीं होते हैं । राष्ट्रपति विधान-मंडल की अवधि के अवसान के पूर्व उसका विघटन नहीं कर सकता । विधान-मंडल राष्ट्रपति की पदावधि को महाभियोग द्वारा ही समाप्त कर सकता है अन्यथा

नहीं । इस प्रकार राष्ट्रपति और विधान-मंडल नियत अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं और एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं । एक का दुसरे में हस्तक्षेप नहीं होता ।

1.3 राष्ट्रपति पद के लिए अर्हताएँ

- अनु. 58 के अनुसार राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एक व्यक्ति को निम्नलिखित अर्हताओं को पूर्ण करना आवश्यक हैं:
  - वह भारत का नागरिक हो ।
  - वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हों ।
  - वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हों ।
  - वह संघ सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर न हों ।

1.4 राष्ट्रपति की पदावधि (Term of Office)

अनु. 56 के अनुसार, राष्ट्रपति की पदावधि, उसके पद धारण करने की तिथि से पांच वर्ष तक होती है । हालाँकि वह निम्नलिखित रीतियों से अपने कार्यकाल के दौरान ही पदमुक्त हो

FREE SAMPLE

नोट – प्रिय पाठकों , **यह एक sample मात्र है** यह अध्याय अभी यहीं समाप्त नही हुआ है, इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको **RAS मुख्य परीक्षा के** कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यह तो एक sample मात्र ही है/ **RAS मुख्य परीक्षा के** कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें , धन्यवाद/

संपर्क करें – 8233195718, 9694804063, 8504091672

हमारे नोट्स के अन्य परीक्षाओं में रिजल्ट (Result)-

RAS Pre. परीक्षा 2021 में हमारे नोट्स में से 73/74 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 23 अक्तूबर की पहली शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 79 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 23 अक्तूबरकी दूसरी शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 103 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 24 अक्तूबर की पहली शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 96 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 24 अक्तूबर की दूसरी शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 91 प्रश्न आये

राजस्थान SI 2021 की परीक्षा कि परीक्षा में भी कई प्रश्न आये हैं -

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO
FREE SAMPLE

Proof देखने के लिए हमारे youtube चैनल (InfusionNotes) पर इसकी वीडियो देंखें या हमारे नंबरों पर कॉल करें।

अध्याय - 6

राजनीतिक गत्यात्मकताएं

भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, नृजातीयता, भाषा एवं लिंग की भूमिका, राजनीतिक दल एवं मतदान व्यवहार, नागरिक समाज एवं राजनीतिक आंदोलन, राष्ट्रीय अखंडता एवं सुरक्षा से जुड़े मुद्दे,सामाजिक राजनीतिक संघर्ष के संभावित क्षेत्र

भारतीय राजनीति जाति -

जाति प्रथा किसी ना किसी रूप में संसार के प्रत्येक क्षेत्र में पाई जाती है। स्वतंत्रता के बाद यह संभावना व्यक्त की जाने लगी कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित होने पर भारत से जातिवाद समाप्त हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में जातिवाद ने न केवल यहाँ की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक प्रवृत्तियों को ही प्रभावित किया अपितु राजनीति को भी पूर्णरूपेण प्रभावित किया हैं।

राजनीति और जाति का परस्पर संबंध -

(1) भारत में सामाजिक व्यवस्था का संगठन ही जाति के आधार पर हुआ हैं। यही सामाजिक व्यवस्था राजनीति, का स्वरूप निर्धारित करती हैं।

(2) जाति विशेष के आधार पर बने संगठन ही ज्यादातर राजनीति में भाग लेती हैं। यदि किसी व्यक्ति विशेष को राजनीति में सफलता चाहिए तो वह किसी संगठित जाति का सक्रिय सदस्य बन शामिल हो जाता है ।

(3) राजनीतिक प्रक्रिया जातीय संरचनाओं को इस प्रकार प्रयोग में लाती है, उनके सहयोग और समर्थन के द्वारा अपनी राजनीतिक स्थिति को और भी अधिक ठोस कर सके।

(4) राजनीतिक उद्देश्यों के लिए जातियों को इस तरह विभाजित किया गया है, अंगड़ी जातियाँ (30.80%); अन्य पिछड़ा वर्ग (41.0%) ; अनुसूचित जाति (19.7%), अनुसूचित जनजाति (8.5%)

(5) सभी राजनीतिक दल अप्रत्यक्ष रूप से जातीय ध्रुवीकरण के माध्यम से सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं ।

(6) प्रत्याशियों का चयन जातीय मापदंडों से किया जाता है। योग्यता व सेवा तत्वों की उपेक्षा की जाती है ।

(7) मंत्रीमंडल के निर्माण के समय में भी सभी जातियों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है।

(8) आरक्षण के माध्यम से जाति को महत्व प्रदान किया गया है।

(9) राजनीतिक दल व उम्मीदवार चुनाव प्रचार में जाति का खुलकर प्रयोग करते हैं।

(10) जाति को अपने दायरे में खींचकर राजनीति उसे अपने काम में लेने का प्रयत्न करती है।

राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जातियाँ -

(1) दिल्ली – अहिरको जाट, पंजाबी, ब्राह्मण, त्यागी

(2) हरियाणा - यादव, अहिरो, आट, सैनी, जॉगिड़, ब्राह्मण

(3) गुजरात – कॉलिस, पाटीदार

(4) आंध्र प्रदेश - कम्मा, रेड्डी, कापू

(5) बिहार - यादव, कुर्मीस, कुशवाहा, राजपूत, ब्राह्मण (भूमिहार तथा मैथिल)

(6) जम्मू कश्मीर - डोगरा ब्राह्मण, राजपूत, ब्राह्मण सिख, मुसलमान, गुर्जर,

(7) कर्नाटक - पुराने मैसूर क्षेत्र में वोक्कलिंगा, गौंडा, और मैसूर शहर में चामराजनगर, बल्लारी को छोड़कर कुरुबा, अहिंडा, हिंगायत, बीदर, कलचूर्ण

(8) उत्तर प्रदेश - यादव, राजपूत, ब्राह्मण, कुर्मीस, चमार, कोएरिक

(9) राजस्थान – जाट, गुर्जर, जॉगिड़, मीणा, राजपूत, ब्राह्मण

(10) उड़ीसा - ब्राह्मण, करण, खंडायत ।

(11) पश्चिम बंगाल – मुसलमान, नमखुद, मातुआ, महिष्य, गोरखा

(12) महाराष्ट्र – धनगरी, मराठा, माली, कुन्नी, ब्राह्मण, महार

(13) तमिलनाडू - मुदलियार, वनियारी, नादार, धेवर, रेड्डीयारी, कोगु वोललारी

(14) पंजाब - दलित, ब्राह्मण, खत्री, सैनी, जाट सिख

(15) मध्य प्रदेश - यादव, कुर्मी, राजपूत, ब्राह्मण

***राजनीति में जाति की भूमिका की आलोचना –**

(1) स्वतंत्र भारत के राजनीतिक परिदृश्य को बाधा पहुंचा रहा है।

(2) जिस न्याय की कल्पनाएं की गई वह अभी तक साकार नहीं हूँ।

(3) दलित शोषितों के उत्थान की आड़ में जातिवाद को राजनीति का अनिवार्य अंग बना दिया।

(4) राजनीतिक दलों ने जातियों को वोट बैंक के रूप में हमेशा प्रयुक्त किया है।

(5) राजनीति में जाति के प्रवेश होने से देश को जाति संघर्ष एवं वैधनस्ता की आग में डाल दिया।

(6) राष्ट्र के एकीकृत स्वरूप के लिए संकट पैदा कर दिया।

(7) लोकतंत्र की धारणा के विरुद्ध काम किया है।

भारतीय राजनीति में धर्म - भारतीय राजनीति के निर्धारक तत्वों में धर्म और सांप्रदायिकता को अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। धर्म के नाम से राजनैतिक दलों का निर्माण, चुनावो में समर्थन एवं मत प्राप्त करने के लिए धर्म का सहारा लेना, धर्म के नाम से अपील करना, आश्वासन देता, निर्वाचनों में

FREE SAMPLE

नोट – प्रिय पाठकों , **यह एक sample मात्र है** यह अध्याय अभी यहीं समाप्त नही हुआ है, इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको **RAS मुख्य परीक्षा के** कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यह तो एक sample मात्र ही है/ **RAS मुख्य परीक्षा के** कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें , धन्यवाद/

संपर्क करें – 8233195718, 9694804063, 8504091672

हमारे नोट्स के अन्य परीक्षाओं में रिजल्ट (Result)-

RAS Pre. परीक्षा 2021 में हमारे नोट्स में से 73/74 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 23 अक्तूबर की पहली शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 79 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 23 अक्तूबरकी दूसरी शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 103 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 24 अक्तूबर की पहली शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 96 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 24 अक्तूबर की दूसरी शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 91 प्रश्न आये

राजस्थान SI 2021 की परीक्षा कि परीक्षा में भी कई प्रश्न आये हैं -

Proof देखने के लिए हमारे youtube चैनल (InfusionNotes) पर इसकी वीडियो देंखें या हमारे नंबरों पर कॉल करें /

FREE SAMPLE

अध्याय – 8

शीत युद्धोत्तर दौर में उदीयमान विश्व-व्यवस्था, 'संयुक्त राज्य अमरिका का वर्चस्व एवं इसका प्रतिरोध, संयुक्त राष्ट्र एवं क्षेत्रीय संगठन

प्रिय दोस्तों, द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद के काल में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बीच उत्पन्न तनाव की स्थिति को **शीत युद्ध** के नाम से जाना जाता है।

द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और रूस ने कंधे से कन्धा मिलाकर धूरी राष्ट्रों- जर्मनी, इटली और जापान के विरूद्ध संघर्ष किया था। किन्तु युद्ध समाप्त होते ही, एक ओर ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दूसरी ओर सोवियत संघ में तीव्र मतभेद उत्पन्न होने लगा। बहुत जल्द ही इन मतभेदों ने तनाव की भयंकर स्थिति उत्पन्न कर दी।

रूस के नेतृत्व में साम्यवादी और अमेरिका के नेतृत्व में पूँजीवादी देश दो खेमों में बँट गये। इन दोनों पक्षों में आपसी टकराहट आमने सामने कभी नहीं हुई, पर ये दोनों गुट इस प्रकार का वातावरण बनाते रहे कि युद्ध का खतरा सदा सामने दिखाई पड़ता रहता था। बर्लिन संकट, कोरिया युद्ध, सोवियत रूस द्वारा आणविक परीक्षण, सैनिक संगठन, हिन्द चीन की समस्या, यू-2 विमान काण्ड, क्यूबा मिसाइल संकट कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थीं जिन्होंने शीतयुद्ध की अग्नि को प्रज्वलित किया। सन् 1991 में सोवियत रूस के विघटन से उसकी शक्ति कम हो गयी और शीतयुद्ध की समाप्ति हो गयी।

शीतयुद्ध का अर्थ

जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यह अस्त्र-शस्त्रों का युद्ध न होकर धमकियों तक ही सीमित युद्ध है। इस युद्ध में कोई वास्तविक युद्ध नहीं लड़ा गया। यह केवल परोक्ष युद्ध तक ही सीमित रहा। इस युद्ध में दोनों महाशक्तियों ने अपने वैचारिक मतभेद ही प्रमुख

रखे। यह एक प्रकार का कूटनीतिक युद्ध था जो महाशक्तियों के संकीर्ण स्वार्थ सिद्धियों के प्रयासों पर ही आधारित रहा।

शीत युद्ध एक प्रकार का वाक युद्ध था जो कागज के गोलों, पत्र-पत्रिकाओं, रेडियो तथा प्रचार साधनों तक ही लड़ा गया। इस युद्ध में न तो कोई गोली चली और न कोई घायल हुआ। इसमें दोनों महाशक्तियों ने अपना सर्वस्व कायम रखने के लिए विश्व के अधिकांश हिस्सों में परोक्ष युद्ध लड़े। युद्ध को शस्त्रायुद्ध में बदलने से रोकने के सभी उपायों का भी प्रयोग किया गया, यह केवल कूटनीतिक उपायों द्वारा लड़ा जाने वाला युद्ध था जिसमें दोनों महाशक्तियां एक दूसरे को नीचा दिखाने के सभी उपायों का सहारा लेती रही। इस युद्ध का उद्देश्य अपने-अपने गुटों में मित्र राष्ट्रों को शामिल करके अपनी स्थिति मजबूत बनाना था ताकि भविष्य में प्रत्येक अपने अपने विरोधी गुट की चालों को आसानी से काट सके। यह युद्ध द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य पैदा हुआ अविश्वास व शंका की अन्तिम परिणति था।

शीतयुद्ध की उत्पत्ति

शीतयुद्ध के लक्षण द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान ही प्रकट होने लगे थे, जब दोनों महाशक्तियां अपने-अपने संकीर्ण स्वार्थों को ही ध्यान में रखकर युद्ध लड़ रही थी और परस्पर सहयोग की भावना का दिखावा कर रही थी। जो सहयोग की भावना युद्ध के दौरान दिखाई दे रही थी, वह युद्ध के बाद समाप्त होने लगी थी और शीतयुद्ध के लक्षण स्पष्ट तौर पर उभरने लग गए थे, दोनों गुटों में ही एक दूसरे की शिकायत करने की भावना बलवती हो गई थी। इन शिकायतों के कुछ सुदृढ़ आधार थे। ये पारस्परिक मतभेद ही शीतयुद्ध के प्रमुख कारण थे, शीतयुद्ध की उत्पत्ति के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं-

शीत युद्ध के उदय के कारण

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के उदय के निम्नलिखित कारण थे

(I) ऐतिहासिक कारण -

FREE SAMPLE

सामान्यतः **शीत युद्ध** की उत्पत्ति का कारण सन् 1917 की बोल्शेविक क्रान्ति मानी जाती है। बोल्शेविक क्रान्ति के पश्चात् रूस में साम्यवाद का उदय हुआ और पश्चिमी राष्ट्र इसके बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर शंकित होने लगे। उन्होंने इसे विश्व में फैलने से रोकने के लिए इसको समाप्त करने का विचार बना लिया तथा हिटलर को रूस पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया गया।

(2) द्वितीय मोर्चे का प्रश्न -

द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर द्वारा सावि अत्यधिक हानि पहुँचाए जाने पर स्टालिन ने मित्र राष्ट्रों से अनुरोध किया कि व के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोल दें,लेकिन रूजवेल्ट और चर्चिल काफी समय तक टालते रहे । इससे स्टालिन की समझ में यह बात आ गई कि पश्चिमी देश रूस को नष्ट हुआ देखना चाहते हैं।

(3) युद्धोत्तर उद्देश्य में अन्तर -

सोवियत संघ और पश्चिमी देशों के युद्धोपरान्त उद्देश्यों में भी अन्तर था । भविष्य में जर्मनी से अपनी सुरक्षा के लिए सोवियत संघ यूरोप के देशों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाना चाहता था, लेकिन पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ के प्रभाव क्षेत्र को सीमित करने के लिए कटिबद्ध थे।

(4) सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना -

सन् 1945 में याल्टा सम्मेलन में स्टालिन, रूजवेल्ट और चर्चिल ने कुछ समझौते किए थे, लेकिन स्टालिन ने पोलैण्ड में अपनी संरक्षित लूबनिन सरकार लादने का प्रयत्न किया। उसने चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, हंगरी तथा रूमानिया से युद्ध-विराम समझौते और याल्टा और पोट्सडाम सन्धियों का उल्लंघन किया और

नोट – प्रिय पाठकों , **यह एक sample मात्र है** यह अध्याय अभी यहीं समाप्त नही हुआ है, इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको **RAS मुख्य परीक्षा के**

कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यह तो एक sample मात्र ही है/ ***RAS मुख्य परीक्षा के*** *कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें , धन्यवाद/*

संपर्क करें – 8233195718, 9694804063, 8504091672

हमारे नोट्स के अन्य परीक्षाओं में रिजल्ट (Result)-

RAS Pre. परीक्षा 2021 में हमारे नोट्स में से 73/74 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 23 अक्तूबर की पहली शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 79 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 23 अक्तूबरकी दूसरी शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 103 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 24 अक्तूबर की पहली शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 96 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 24 अक्तूबर की दूसरी शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 91 प्रश्न आये

राजस्थान SI 2021 की परीक्षा कि परीक्षा में भी कई प्रश्न आये हैं -

Proof देखने के लिए हमारे youtube चैनल (InfusionNotes) पर इसकी वीडियो देंखें या हमारे नंबरों पर कॉल करें /

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

इकाई ।।- लोक प्रशासन एवं प्रबंधन की अवधारणाएँ, मुद्दे एवं गत्यात्मकता

अध्याय – ।

प्रशासन एवं प्रबंध- अर्थ, प्रकृति एवं महत्व, विकसित एवं विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास, नवीन लोक प्रशासन, लोक प्रशासन के अध्ययन प्रति अभिगम-

लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन दोनों का ही मुख्य उद्देश्य लोक कल्याण व विकास करना है इस के लिए डोनम ने कहा था कि, "यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो इसका कारण प्रशासन कि असफलता होगी। "

प्रमुख परिभाषाएँ :-

- **फिफ़नर :-** इसके अनुसार वांछित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मानवीय तथा भौतिक संसाधनों का संगठन तथा निर्देशन ही प्रशासन है ।
- **लूथर गुलिक :-** इनके अनुसार कार्य पुरा करने के लिए निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति करना प्रशासन कहलाता है ।

  लूथर गुलिक ने लोक प्रशासन को कार्यपालिका से जोड़ा है ।
- **एल डी व्हाइड :-** इनके अनुसार "किसी उद्देश्य प्राप्ति हेतु बहुत ही कम मनुष्य का निर्देशन समन्वय तथा नियंत्रण हो उसे प्रशासन कहा जाता है ।
- **विलोबी :-** कार्यपालिका, व्यवस्थापिका व न्यायपालिका के तीनों अंग सरकारी प्रशासन के रूप में कार्य करते हैं । जो लोकप्रशासन कहलाता है । लेकिन इसके संकीर्ण अर्थ में कार्यपालिका को शामिल करते हैं तथा व्यापक अर्थ में तीनों अंग शामिल होते हैं ।
- **वुडरो विल्सन :-** लोकप्रशासन के जनक वुडरो विल्सन के अनुसार कानून को विस्तृत व क्रमबद्ध तरीके से क्रियान्वयन करना ही लोक प्रशासन है ।

  लोकप्रशासन की प्रकृति :-

FREE SAMPLE

लोकप्रशासन के विभिन्न विचारकों के अनुसार इसकी प्रकृति अलग-अलग बताई गयी है जिसे समग्र तथा प्रबंधकीय दृष्टिकोण कहते हैं।

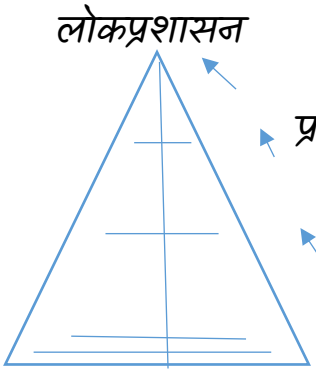

प्रबंधकीय विचारधारा :- लोकप्रशासन की यह एक संकीर्ण विचारधारा है जिसके अनुसार लोकप्रशासन में लक्ष्य प्राप्ति हेतु केवल उच्च स्तरीय प्रबंधकों को शामिल किया जाता है जिनके निर्णय पूरे प्रशासन को प्रभावित करते हैं।

→गुलिक व साइमन प्रबंधकीय विचारधारा के समर्थक हैं।

समग्र विचारधारा :- इसके अंतर्गत लोकप्रशासन में लक्ष्य प्राप्ति हेतु सभी गतिविधियों को शामिल किया जाता है। जैसे :- उच्चस्तरीय प्रबंधक से लेकर निम्नस्तरीय लिपिक तथा सफाई कर्मचारी भी लोकप्रशासन में शामिल होते हैं।

क्योंकि संगठन में लक्ष्य प्राप्ति हेतु सब की अपनी भूमिका होती है।

→एल. डी. व्हाइड तथा डिमोक समग्र विचारधारा के समर्थक हैं।

 # प्रशासन संगठन व प्रबन्धन :-

FREE SAMPLE

→ लोकप्रशासन में प्रशासन संगठन व प्रबन्धन की अलग-अलग भूमिका होती है।

व्यापक रूप से प्रशासन में सभी गतिविधियों को शामिल किया जाता है। जिसका उद्देश्य है संगठन व प्रबंधक के माध्यम से लक्ष्य प्राप्त करना।

संगठन में मानन तथा भौतिक संसाधनों का समन्वय होता है। जो लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग करते हैं

प्रबन्धन में मार्ग दर्शन होता है तथा लोकप्रशासन के महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं।

लोकप्रशासन सामाजिक विज्ञानः- लोकप्रशासन में लोक का अर्थ सरकार है क्योंकि जन ईच्छा के अनुसार सरकार का निर्माण होता है अतः लोकप्रशासन के सभी निर्णय तथा गतिविधियाँ जनता के ईर्द-गिर्द ही घुमती है। तथा जनता समाज का हिस्सा है। अतः लोकप्रशासन को सामाजिक विज्ञान कहते हैं।

लोकप्रशासन के समस्त कर्मचारी व अधिकारी समाज का हिस्सा है। लोक प्रशासन के अध्ययन में भी जनता को मुख्य आधार बनाया जाता है। इसलिए लोकप्रशासन में समाज का प्रत्येक व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है। जो लोकप्रशासन को प्रभावित करता है तथा लोकप्रशासन इससे प्रभावित होती है।

विज्ञान का अर्थ क्रमबद्धता व तार्किकता का होना। लोकप्रशासन भी सामाजिक विज्ञान है क्योंकि इसके निर्णयों में भी क्रमबद्धता व तार्किकता होती है। लेकिन यह क्रमबद्धता भौतिक या रसायन विज्ञान से भिन्न है।

एक विषय के रूप में लोकप्रशासन का उद्भव व विकास :-

अमेरिका में 1882 में लूट प्रणाली के चलते एक युवक ने वहाँ के राष्ट्रपति गारफील्ड की हत्या करदी।

लोकप्रशासन प्राचीन काल से राजनीति का अभिन्न अंग रहा है लेकिन इसे एक विषय के रूप में पहचान मिलने में सदियाँ बीत गई |

कौटिल्य के अर्थशास्त्र , प्लेटो के Republic, अरस्तु के Politics तथा मैकियावली के द प्रिंस नामक ग्रंथों में लोकप्रशासन का उल्लेख मिलता है | लेकिन यह राजनीति के साथ मिला हुआ था |

18वीं शताब्दी को ऑस्ट्रिया तथा जर्मनी में जॉर्ज जिंक द्वारा कैमरलवाद आन्दोलन चलाया गया | जिसका अर्थ है सरकारी कार्यों का व्यवस्थित रूप से प्रबन्धन करना व उनमें सुधार करना | यह लोकप्रशासन के लिए सुधार आन्दोलन कहलाता है | लेकिन इसमें भी लोकप्रशासन अलग विषय नहीं बन सका |

लोकप्रशासन में सुधार का दौर :- 19 वीं शताब्दी में अमेरिकी प्रशासन व नौकरशाही विश्व की सबसे भ्रष्ट नौकरशाही कहलाती है | इसे लूट प्रणाली का प्रशासन भी कहते हैं |

1882 में अमेरिका के तत्कालिन राष्ट्रपति गारफील्ड की अमेरिका के एक बेरोजगार युवक द्वारा हत्या करने के बाद अमेरिकी प्रशासन में सुधार शुरू हुआ |

1887 को अमेरिका के प्रोफ़ेसर वुडरो वोल्सन ने एक समाचार पत्र में The study of Administration (प्रशासन का अध्ययन) नामक निबंध लिखा | जिसमें प्रशासन को राजनीति से अलग करने के लिए महत्वपूर्ण तर्क लिखे गए |

इस निबंध के प्रभाव से लोकप्रशासन को एक विषय के रूप में अलग पहचान मिली | इसलिए वुडरो विल्सन लोकप्रशासन के जनक कहलाते हैं |

लोक प्रशासन उद्भव के चरण :-

- **प्रथम चरण (1887-1926)** :- राजनीति प्रशासन का विभाजन (द्विविभाजन)
- **दूसरा चरण (1927-1938)** :- सिद्धांतों का निर्माण
- **तीसरा चरण (1938-1947)** :- चुनौती का युग

- **चौथा चरण (1947-1970)** :- पहचान का संकट
- **पाँचवां चरण (1970-1990)** :- लोकनीति परिप्रेक्ष्य
- **छटा चरण (1990...)** :- नव लोक प्रबंधन

प्रथम चरण (1887-1926) :- राजनीति प्रशासन का विभाजन - इस चरण की शुरुआत वुडरो विल्सन प्रशासन के अध्ययन से होती है |

यह निबंध क्वार्टरली नामक समाचार पत्र 1887 में लिखा गया था | इसके प्रभाव से लोकप्रशासन की एक स्वतन्त्र विषय के रूप में नीव रखी गई | वुडरो विल्सन ने इस निबंध में कहा की लोकप्रशासन को एक विज्ञान मन जाए | इससे सरकार व नौकरशाही के कार्य अधिक व्यापारिक होंगे , इससे प्रशासनिक संगठन मजबूत होंगे और सरकारी कार्य बेहतर होंगे |

वुडरो विल्सन ने लोकप्रशासन को राजनीति से अलग करने के मजबूत तर्क प्रस्तुत किए |

सन् 1900 में अमेरिकी प्रोफ़ेसर फ्रैंक गुडनाऊ ने अपनी पुस्तक Politics and Asministration (राजनीति व प्रशासन) में

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

नोट - प्रिय पाठकों , **यह एक sample मात्र है** यह अध्याय अभी यहीं समाप्त नही हुआ है, इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको **RAS मुख्य परीक्षा के** कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यह तो एक sample मात्र ही है/ **RAS मुख्य परीक्षा के** कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें , धन्यवाद/

संपर्क करें - 8233195718, 9694804063, 8504091672

हमारे नोट्स के अन्य परीक्षाओं में रिजल्ट (Result)-

RAS Pre. परीक्षा 2021 में हमारे नोट्स में से 73/74 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 23 अक्तूबर की पहली शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 79 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 23 अक्तूबरकी दूसरी शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 103 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 24 अक्तूबर की पहली शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 96 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 24 अक्तूबर की दूसरी शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 91 प्रश्न आये

राजस्थान SI 2021 की परीक्षा कि परीक्षा में भी कई प्रश्न आये हैं -

Proof देखने के लिए हमारे youtube चैनल (InfusionNotes) पर इसकी वीडियो देखें या हमारे नंबरों पर कॉल करें।

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

अध्याय– 7

राजस्थान में प्रशासनिक ढाँचा एवं प्रशासनिक संस्कृति- राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रीपरिषद्, राज्य सचिवालय, निदेशालय एवं मुख्य सचिव

- **राज्य सचिवालय**

राज्य शासन सचिवालय वह स्थान है जहाँ से शासन व प्रशासन के सत्ता - सूत्रों का संचालन होता है। यह नीति निर्माता के रूप में राजनैतिक नेतृत्व तथा नीति - क्रियान्वयन के रूप में लोक सेवकों की संयुक्त कार्यस्थली है। यही नीतियाँ तथा कार्यक्रम आकार लेते हैं तथा यहीं से उनके क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश प्राप्त होते हैं।

गठन :-

प्रत्येक राज्य का अपना शासन सचिवालय होता है जो बिभिन्न विभागों मे बँटा होता है। सचिवालय का सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार, मुख्यमंत्री तथा सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी मुख्य सचिव होता है।

प्रत्येक विभाग का राजनैतिक प्रमुख केबिनेट मंत्री या राज्यमंत्री होता है। राज्यमंत्री कई बार कैबिनेट मंत्री के साथ सम्बद्ध होते हैं तो कई बार किसी विभाग के स्वतंत्र प्रभारी होते हैं। कुछ स्थितियों में राज्यमंत्री किन्ही विषयों के लिए स्वतंत्र प्रभारी होते हैं तो किन्ही विषयों के लिए कैबिनेट मंत्री के साथ जुड़े हुए होते हैं। कुछ विभागों में उपमंत्री भी होते हैं पर उनके पास स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है।

मुख्य सचिव जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है, राज्य प्रशासन का मुख्य समन्वयक होता है तथा राज्य के संपूर्ण प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है। वह सभी विभागों पर नज़र रखता है तथा उनकी महत्वपूर्ण फाइलें उसके पास आती हैं। वह दो विभागों का सचिव भी होता है - सामान्य प्रशासन विभाग तथा मंत्रिमण्डल सचिवालय।

मंत्रीमण्डल के पास जाने वाली समस्त फाइलें मुख्य सचिव के माध्यम से जाती हैं। मुख्य सचिव के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पद अतिरिक्त मुख्य सचिव का है जो मुख्य सचिव के समान वेतन प्राप्त करता है।

राज्य सचिवालय में विभिन्न विभागों के कार्यालय होते हैं। विभागों की संख्या परिवर्तित होती रहती है। वर्तमान में राज्य सचिवालय में निम्न विभाग हैं :

सचिवालय के विभाग :-

1. आयोजना विभाग
2. उद्योग विभाग
3. ऊर्जा विभाग
4. एन. आई. सी. कंप्यूटर
5. कृषि विभाग
6. कार्मिक विभाग (क)
7. कार्मिक विभाग (ख व ग)
8. खान विभाग
9. खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग
10. खेल कूद एवं युवा मामले विभाग
11. गृह (अभियोजन) विभाग
12. गृह विभाग
13. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
14. चिकित्सा एवं स्वास्थ विभाग (क. आयुर्वेद विभाग) (ख. परिवार कल्याण विभाग) (ग. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग)
15. निर्वाचन विभाग
16. जन अभियोग निराकरण विभाग
17. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

18. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

19. नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

20. पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग

21. पर्यावरण विभाग

22. परिवहन विभाग

23. पशुपालन विभाग

24. प्रशासनिक सुधार विभाग

25. भू - जल विभाग

26. महाधिवक्ता कार्यालय

27. मंत्रिमण्डल सचिवालय

28. मुख्यमंत्री सचिवालय

29. मुख्य सचिव कार्यालय

30. मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग

31. राजकीय उपक्रम विभाग

32. राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग

33. लोकायुक्त सचिवालय

34. वन विभाग

35. वित्त विभाग

36. विधि एवं न्याय विभाग (क) विधि रचना एवं संहिताकरण (ख)

37. विभागीय जाँच

38. शिक्षा विभाग

*उच्च शिक्षा (क) *माध्यमिक शिक्षा (संस्कृत शिक्षा सहित) (ख) *प्राथमिक शिक्ष (ग) *तकनिकी शिक्षा (घ)

39. श्रम एवं नियोजन विभाग

40. सहकारिता विभाग

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

41. सहायता विभाग
42. सामान्य प्रशासन विभाग
43. सार्वजनिक निर्माण विभाग
44. सिंचाई विभाग
45. सी. ए. डी. अण्ड वाटर यूटिलाइजेशन विभाग
46. सैनिक कल्याण, देव स्थान, वक्फ विभाग
47. समाज कल्याण विभाग
48. सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय

प्रत्येक विभाग की संगठनात्मक व्यवस्था का ढाँचा समान होता है अर्थात पदों के स्तर। लेकिन पदों की संख्या में भिन्नता होती है।

प्रत्येक विभाग का राजनीतिक मुखिया एक मंत्री होता है।

विभाग में प्रशासनिक मुखिया शासन सचिव अथवा प्रमुख शासन सचिव होता है। शासन सचिव एक अथवा दो अथवा दो से अधिक विभागों का मुखिया भी हो सकता है। प्रमुख शासन सचिव तथा शासन सचिव के वेतन मानो में अंतर होता है। उनके अधिकारों व उत्तरदायित्वों में कोई अंतर नहीं है कई बार ऐसा भी होता है कि एक सचिव दो या उससे अधिक मंत्रियों के अधीन कार्य करता है। कभी - कभी एक मंत्री के अधीन एक से अधिक सचिव काम करते हैं।

कुछ विभागों में विशिष्ट शासन सचिव होते हैं जो प्रमुख शासन सचिव के अधीन होते हैं। सामान्यतया इस स्तर का एक ही पद एक विभाग में होता है, लेकिन कुछ विभागों में इस स्तर के दो पद भी होते हैं।

पद सोपान की इस श्रृंखला की अगली निम्न सीढ़ी उपसचिव के पद की होती है। ये पाँच प्रकार की सेवाओं के होते हैं: भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान लेखा सेवा, राजस्थान सचिवालय सेवा,

अन्य विशिष्ट सेवाएँ जैसे विधि, सांख्यिकी आदि। एक विभाग में एक से अधिक सेवाओं के उपसचिव हो सकते हैं। जैसे गृह तथा वित्त विभाग।

उपसचिव के बाद सहायक सचिव का पद होता है जिसके अधिकारी सामान्यतया राजस्थान सचिवालय सेवा के सदस्य होते हैं। तत्पश्चात् अनुभाग अधिकारी होता है जो राजपत्रित होता है तथा राजस्थान सचिवालय सेवा के माध्यम से पद ग्रहण करता है। इसके बाद वरिष्ठ सहायक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी होते हैं। राजस्थान सचिवालय की इस पदसोपान व्यवस्था को अग्रलिखित सारणी के

नोट – प्रिय पाठकों , **यह एक sample मात्र है** यह अध्याय अभी यहीं समाप्त नही हुआ है, इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको **RAS मुख्य परीक्षा के** कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यह तो एक sample मात्र ही है/ **RAS मुख्य परीक्षा के** कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें , धन्यवाद/

संपर्क करें – 8233195718, 9694804063, 8504091672

हमारे नोट्स के अन्य परीक्षाओं में रिजल्ट (Result)-

RAS Pre. परीक्षा 2021 में हमारे नोट्स में से 73/74 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 23 अक्तूबर की पहली शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 79 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 23 अक्तूबरकी दूसरी शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 103 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 24 अक्तूबर की पहली शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 96 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 24 अक्तूबर की दूसरी शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 91 प्रश्न आये

राजस्थान SI 2021 की परीक्षा कि परीक्षा में भी कई प्रश्न आये हैं -

Proof देखने के लिए हमारे youtube चैनल (InfusionNotes) पर इसकी वीडियो देंखें या हमारे नंबरों पर कॉल करें।

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

अध्याय – 8

जिला प्रशासन : संगठन, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक की भूमिका, उपखण्ड एवं तहसील प्रशासन

जिला कलेक्टर : जिला अधिकारीयों में सर्वाधिक शक्तिशाली पद जिलाधीश या कलेक्टर का है ! उसे जिले का शीषस्थ अधिकारी माना जाता है ! उसे जिले में विकास का प्रतीक माना जाता है ! वह जिले में बहुमुखी गतिविधियों का संचालन करता है!

सहायक कलेक्टर : राजस्व प्रशासन में सहायक कलेक्टर का पद पूर्ण रूप से न्यायिक कार्यों के निष्पादन हेतु बनाया गया है ! इसका मुख्य कार्य राजस्व प्रकरणों को सुनना, निर्णित करने के लिए शुद्ध रूप से अदालती कार्य करना है ! सहायक कलेक्टर वरिष्ठ अदालत के रूप में कार्य करता है !

उपखण्ड अधिकारी : जिला अनेक उपजिलो में बंटा होता है ! उप जिले के मुखिया को एस. डी. ओं. अथवा उपजिलाधीश कहते है ! यह एस. डी ओं. जिला और तहशील प्रशासन के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी होता है ! इसका प्रमुख कार्य तहसीलों का निरिक्षण करना होता है ! प्रत्येक उप जिलाधीश के पास प्राय : एक या दो तहसील अधीन होती है और उपखण्ड अधिकारी इनके सफल प्रशासन के लिए वह जिलाधीश के प्रति उत्तरदायी होता है ! तहसीलदार के निर्णय के विरुद्ध उपजिलाधीश के यहाँ अपील की जा सकती है !

तहसील प्रशासन : भू- राजस्व प्रशासन की आधारभुत इकाई तहसील प्रशासन है जो गाव व जिले एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई है ! तहसील प्रशासन भू – राजस्व , न्याय व विकास कार्यों में अपना विशिष्ट स्थान रखता है ! राज्य के भोगोलिक विभाजन के आधार पर बनी अंतिम प्रशासनिक इकाई तहसील है ! तहसील विशुद्ध रूप से राजस्व प्रशासन के लिए बनाई गई है ! मुग़ल काल से ही राजस्व प्रशासन में तहसील का एक

FREE SAMPLE

महत्वपूर्ण स्थान रहा है !तहसील को कुछ अन्य राज्यों में दुसरे नामों से जाना जाता है, जेसे – तमिलनाडु में इसे 'तालुक' एवम् महाराष्ट्र में 'तालुक'कहा जाता है !

पटवारी प्रशासन का अंतिम प्रशासनिक कर्मचारी होता है ! भारत में मुगलकाल से ही पटवारी का पद राजस्व प्रशासन का महत्वपूर्ण भाग रहा है ! पटवारी किसानों से सम्बन्धित व्यक्ति था जो किसानों के व्यक्तिगत लगान लेना व लेनदेन का हिसाब रखना उसका प्रमुख कर्तव्य था !

राज्य एवम् केन्द्रीय सरकार से मिलने वाले निति – निर्देशों को जिला प्रशासन क्रियान्वित करता है किन्तु दूसरी ओर राजनितिक द्रष्टि अपना आधार एवम् प्रभाव जिला स्तर से ही ग्रहण करते है ! पंचायती राज ने इस स्तर को और सशक्त किया है और जन प्रतिनिधियों की राजनितिक के कारण जिला प्रशासन की नोकरशाही का लोकतंत्रीकरण हुआ है ! जिला ही वह स्तर है जहा साधारण व्यक्ति प्रशासन के प्रायः सीधे सम्पर्क में आता है ! शांति और कानून व्यवस्था की स्थापना तथा विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य में जिले को ही आधारभूत प्रशासनिक इकाई माना गया है !

कुंजी शब्द : राजस्व प्रशासन , भू – राजस्व, जिलाधीश, सहायक कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार आक्सफोर्ड कन्साइज ने जिले को विशेष प्रशासनिक उद्देश्य के लिए निर्धारित दिशा के रूप में परिभाषित किया है ! इसका अंग्रेज पयार्यवाची शब्द डिस्ट्रिक्ट सर्वप्रथम 1776 में कलकत्ता जिले के दीवान के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया गया था ! पूले तथा बत्रेल के शब्दों में जिला उन प्रशासनिक डिस्ट्रिक्टस का तकनीकी नाम था जिनमें ब्रिटिश भारत विभाजित था ! शब्द व्युप्ति के अनुसार यह एक फांसीसी शब्द डिस्ट्रिक्ट से लिया गया है जो स्वंय मध्यकालीन लेटिन शब्द डिस्ट्रिक्टस से निकला है ! इसका अर्थ न्यायिक प्रशासन के उद्देश्य से बनाया गया प्रदेश है ! सन 1894 में सर जार्ज जेस्त्री ने लिखा था, ' फ्रांस में डिपार्टमेंट की भांति जिला एक प्रशासनिक इकाई होती है ! डा. के. एन.वी. शास्त्री के अनुसार ' अंग्रेजो ने यह शब्द फ्रांसीसी प्रीफेक्ट व्यवस्था से ग्रहण किया तथा इसे ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रीय प्रशासन पर लागू किया !'

भारत में जिला प्रशासन 'एक ऐतिहासिक निरन्तरता' है ! यहाँ ' जिला ' सदा से ही प्रशासन की आधारभूत इकाई रहा है जिला प्रशासन का उल्लेख मनुस्मृति जेसे प्राचीन ग्रन्थ से लेकर कोटिल्य के अर्थशात्र , मोर्य साम्राज्य, मध्यकाल, मुगलकाल और ब्रिटिश इंडिया की प्रशासनिक व्यवस्था में स्पष्ट रूप से मिलता है ! मोर्यकाल में इसे ' राजूका' मुगलकाल में 'सरकार' तथा ब्रिटिश इंडिया में पहले सरकार तथा बाद में जिला / डिस्ट्रिक्ट कहना प्रारम्भ किया !

जिला प्रशासन की संरचना (राजस्व):

भारत में जिला प्रशासन की सम्पूर्ण संरचना एक पद सोपान युक्त व्यवस्था के रूप में देखा जा सकता है ! राजस्थान के राजस्व प्रशासन में जिला प्रशासन की संरचना निम्न प्रकार है –

1. जिला मुख्यालय - प्रमुख नगर में तथा कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण जिला
   प्रशासक - जिलाधीश
2. उपखण्ड मुख्यालय - कार्यक्षेत्र उपखण्ड ।
   - 2 तहसील
   प्रशासक – उपखण्ड अधिकारी
3. तहसील मुख्यालय - कार्यक्षेत्र तहसील
   प्रशासक – तहसीलदार / उप तहसीलदार
4. पटवार क्षेत्र - कार्यक्षेत्र पटवार वृत , । – 2 ग्राम पंचायत
   मुख्य कर्मचारी - पटवारी

इस प्रकार राजस्थान में जिला प्रशासन में जिला प्रशासन ग्राम स्तर पर पटवारी से आरम्भ होकर तहसील, उपखण्ड तथा जिला मुख्यालय स्तर पर विधमान है !

जिला कलेक्टर :

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

जिला अधिकारियो में सर्वाधिक शक्तिशाली पद जिलाधीश या कलेक्टर का है ! उसे जिले का शीषस्थ अधिकारी माना जाता है ! उसे जिले में विकास का प्रतिक माना जाता है ! वह जिले में बहुमुखी गतिविधियों का संचालन करता है !

मोर्यकाल में कलेक्टर को राजूका, मुगलकाल में मनसबदार या फोजदार तथा अंग्रेजो ने जिला निरीक्षक कहना प्रारम्भ किया ! 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने सर्वप्रथम जिला निरिक्षण के स्थान पर कलेक्टर के पद का प्रारम्भ किया तथा 1781 में फोजदार का पद समाप्त कर उसका कार्यभार कलेक्टर को सोंप दिये ! 1812 में होल्ड मेकेंजी ने तथा 1833 में विलियम बेटिक ने कलेक्टर को काफी शक्तिशाली बना दिया !

1935 के अधिनियम के द्वारा कलेक्टर को शक्तिशाली बनाये जाने की सिफारिश की गई ! 1944 में रोलेट्स कमेटी द्वारा इस पद को और प्रतिष्ठावान बनाने की सिफारिश की गई ! सम्पूर्ण अंग्रजी शासनकाल में जिला स्तर पर कलेक्टर केन्द्रीय शक्ति के रूप में कार्य करता रहा जो कि जिले की समस्त प्रशासनिक क्रियाओं को समन्वित करता था ! उसकी महता में लाखो शब्द वासरयो , गर्वनरों तथा शोधकर्ता द्वरा लिखे गए है ! ब्रिटिश शासनकाल में कलेक्टर का पद सता, सम्मान और गोरवमय पद था ! जिला स्तर पर यह सरकार की समस्त शक्तियों का प्रयोग करता था !

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् कलेक्टर के पद के महत्व तथा स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है ! लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था में कलेक्टर जनता का सेवक बन गया है ! ऐसी स्थिति में कलेक्टर के कार्यों की प्राथमिकताओं को पूर्णरूपेण बदल गई है ! पहले भू – राजस्व प्रबन्धन, कानून और व्यवस्था की स्थापना करना उसका प्रमुख कार्य...

नोट – प्रिय पाठकों , ***यह एक sample मात्र है*** यह अध्याय अभी यहीं समाप्त नही हुआ है, इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको ***RAS मुख्य परीक्षा के***

कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यह तो एक sample मात्र ही है/ ***RAS मुख्य परीक्षा के*** *कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें , धन्यवाद/*

संपर्क करें – 8233195718, 9694804063, 8504091672

हमारे नोट्स के अन्य परीक्षाओं में रिजल्ट (Result)-

RAS Pre. परीक्षा 2021 में हमारे नोट्स में से 73/74 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 23 अक्तूबर की पहली शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 79 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 23 अक्तूबरकी दूसरी शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 103 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 24 अक्तूबर की पहली शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 96 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 24 अक्तूबर की दूसरी शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 91 प्रश्न आये

राजस्थान SI 2021 की परीक्षा कि परीक्षा में भी कई प्रश्न आये हैं -

Proof देखने के लिए हमारे youtube चैनल (InfusionNotes) पर इसकी वीडियो देंखें या हमारे नंबरों पर कॉल करें /

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

अध्याय – 10

राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग एव राजस्थान लोक सेवा गारण्टी अधिनियम, 20।। एवं राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम अधिनियम, 202।

- **राज्य मानवाधिकार आयोग –**

- मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, ।993 के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था।
- यह आयोग केवल राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के विषयों पर ही जाँच कर सकता है।
- यदि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या अन्य कोई विधि क निकाय किसी मामले पर पहले से ही जाँच कर रहा हो तो राज्य मानवाधिकार आयोग हस्तक्षेप नही कर सकता है।
- वर्तमान में देश के 23 राज्यों में मानवाधिकार आयोग की स्थापना की जा चुकी है।

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग

- राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना वर्ष 2000 में एक विधेयक पारित किया गया जो अगस्त , 200। में लागू हुआ।

आयोग का संगठन

- ।अध्यक्ष तथा ५ सदस्य होते हैं।
- आयोग का अध्यक्ष व ही व्यक्ति होता है जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो।
- आयोग का । सदस्य वह होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो।
- आयोग का ।सदस्य वह होगा जो जिलान्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो।

- आयोग के 2 सदस्य वे होंगे जो मानवाधिकारो के संदर्भ में विशेष जानकारी रखते हो।
- वर्ष 2006 में इस अधिनियम में संशोधन कर राज्य मानवाधिकार आयोग की सदस्य संख्या तथा सदस्यों की योग्यता में बदलाव किया गया।
- सदस्यों की संख्या चार सदस्यों से घटा कर 2 कर दी गई।
- सदस्यो की योग्यता में बदलाव किया गया । एक सदस्य भी पूर्व अनुसार उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो।
- एक अन्य सदस्य वह होगा जो जिलान्यायाधीश हो अथवा उसे 7 वर्ष का न्यायिक अनुभव हो ।
- या वह व्यक्ति जो मानवाधिकार के विषय में अच्छी जानकारी रखता हो।

आयोग में सदस्यों की नियुक्ति

- आयोग में सदस्यों की नियुक्ति राज्य पाल द्वारा छः सदस्ययी समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती हैं।
- इस समिति का गठन निम्न प्रकार किया जाता हैं-
- समिति का पदेन अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री होता हैं।
- राज्य मंत्रिमंडल सदस्य (गृहमंत्री)।
- विधानसभा अध्यक्ष।
- विधानसभा में विपक्ष का नेता।
- विधानपरिषद सभापति।
- धानपरिषद में विपक्ष का नेता।
- आयोग के सदस्यों को पद मुक्त करना
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को पद मुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता हैं , इस के लिए भी कई प्रावधान दिए हुए हैं। अतः पदमुक्ति के निम्न आधा रहो सकते हैं-
- सिद्ध कदाचार के आधार पर।
- सदस्य को दिवालिया घोषित कर दिया गया हो।

FREE SAMPLE

- सदस्य ने लाभकारी पद धारण कर लिया हो।
- वह मानसिक अथवा शारीरिक रूप से अक्षम हो।

आयोग सदस्यों व अध्यक्ष का कार्यकाल

- 5 वर्ष का कार्यकाल अथवा 70 वर्ष की उम्र जो भी पहले परी हो तक पद पर बने रह सकते है। लेकिन यदि 70 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं हुई हो तो इस आयु तक पुन र्नियुक्त किए जा सकते है।
- कार्यकाल पूर्ण होने के बाद राज्य अथवा केंद्र सरकार के अधीन कोइ पद ग्रहण नहीं कर सकते है।

आयोग का कार्य

- मानवाधिकारो के संदर्भ में संवैधानिक व कानूनी प्रवधानो के क्रियान्वयन पर निगरानी रखना।
- गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित करना ताकि वे उचित रूप से क्षेत्र में कार्य कर सके।।
- मानवाधिकारो के सम्बन्ध में शोध करना एंव शोध को बढ़ावा देना।
- मानवाधिकारो से सम्बंधित शिकायतों को सुनना।
- मानवाधिकारो की जानकारी का प्रसार करना तथा जागरूकता बढ़ाना।
- आयोग गम्भीर विषयों पर स्वविवेक सेभी मामलों पर संज्ञा न लेता है।

आयोग की शक्तियाँ

- समन जारी करने की शक्ति।
- शपथ पत्र अथवा हल फना मे पर लिखित गवाही लेने की शक्ति।
- गवाही को रिकॉर्ड करने की शक्ति।
- देश की विभिन्न जे लोंका निरीक्षण करने की शक्ति।
- आयोग उन्ही मामलों में जाँच कर सकता है जिन्हें घटित हुए एक वर्ष से कम समय हुआ हो । एक वर्ष से पूर्व घटना ओंपर आयोग को कोई अधिकार नहीं है।

FREE SAMPLE

आयोग मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी कोन तो दंड से सकता है और नही

नोट – प्रिय पाठकों , **यह एक sample मात्र है** यह अध्याय अभी यहीं समाप्त नही हुआ है, इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको **RAS मुख्य परीक्षा के** कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यह तो एक sample मात्र ही है/ **RAS मुख्य परीक्षा के** कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें , धन्यवाद/

संपर्क करें – 8233195718, 9694804063, 8504091672

हमारे नोट्स के अन्य परीक्षाओं में रिजल्ट (Result)-

RAS Pre. परीक्षा 2021 में हमारे नोट्स में से 73/74 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 23 अक्तूबर की पहली शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 79 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 23 अक्तूबरकी दूसरी शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 103 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 24 अक्तूबर की पहली शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 96 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 24 अक्तूबर की दूसरी शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 91 प्रश्न आये

राजस्थान SI 2021 की परीक्षा कि परीक्षा में भी कई प्रश्न आये हैं -

Proof देखने के लिए हमारे youtube चैनल (InfusionNotes) पर इसकी वीडियो देंखें या हमारे नंबरों पर कॉल करें /

अध्याय – I

भारत एवं राजस्थान राज्य की खेल नीति

- **राष्ट्रीय खेल नीति 1984-**

देश में खेलो के विकास तथा संवर्धन के लिए व्यापक नीतिगत रूपरेखा के विकास की ओर पहली शुरुआत थी। यह नीति खेल अवस्थापना के विकास पर जोर देते हुए शारीरिक शिक्षा तथा खेलो को स्कूली पाठ्यक्रम का अभिन्न हिस्सा बनाती है। इस नीति में बुनियादी न्यूनतम खेल अवस्थापना के सृजन तथा खेल गतिविधियों के लिए वर्तमान खेल के मैदानों व सुरक्षित खुले स्थानों के संरक्षण के लिए यदि आवश्यक हो तो उपयुक्त विधान के द्वारा एक समयबद्ध कार्यक्रम की आवश्यकता पर बल दिया गया। खेलो को प्रोत्साहन देने के लिए देश में 19 अगस्त 1992 को एक राष्ट्रीय खेल नीति की घोषणा की गई जो की वर्ष 1984 मे घोषित राष्ट्रीय खेल नीति का एक विस्तृत रूप था। इस नीति के अंतर्गत निम्न चार बातो पर बल दिया गया है -

- देश में खेलो के लिए माहौल तैयार करना।
- खेलो का विस्तार।
- प्रतियोगिता के स्तर में सुधार तथा
- खेल प्रबंधन आदि
-

राष्ट्रीय खेल नीति 2001 -

11 सितंबर, 2001 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने " राष्ट्रीय खेल नीति-2001" को अपनी स्वीकृति प्रदान की। खेल नीति में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने, खेलों को बढ़ावा देने

के लिए निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा महिला आदिवासियों व ग्रामीण युवाओं को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है।

खेल नीति में खेलों के आधार को मजबूत करने, खेलों में उच्चतम प्रदर्शन को प्राप्त करने, संरचनात्मक विकास एवं सुधारीकरण, खेल महासंघों व अन्य सम्बन्धित निकायों को सहायता देने, खेलों में वैज्ञानिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने व आम जनता में जागरूकता पैदा करने पर भी बल दिया गया है।इस नीति के प्रमुख बिंदु निम्न प्रकार है –

- खेलकूद के आधार को व्यापक करना तथा और अधिक विशिष्टता हासिल करना।
- बुनियादी ढांचे का उन्नयन तथा विकास।
- राष्ट्रीय खेल परिसंघों तथा अन्य उचित निकायों को समर्थन तथा सहयोग प्रदान करना।
- खेलो में वैज्ञानिक तथा कोचिंग समर्थन को मजबूत करना।
- खेलो को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन प्रदान करना।
- महिलाओ, अनुसूचित जातियों तथा ग्रामीण युवाओ की भागीदारी को बढ़ाना।
- खेलो के प्रचार प्रसार के लिए कॉर्पोरेट जगत की सहायता प्राप्त करना।
- आम जनता में खेल के प्रति रुचि को बढ़ाना।

व्यापक राष्ट्रीय खेल नीति 2007 -

उद्देश्य- इसका उद्देश्य पहले की खेल नीतियों में छूट गए एजेंडे की और तथा 2। वी सदी में भारत के समक्ष उभर रही चुनोतियो जिसमे न केवल विश्व में शक्ति के रूप म् उभरना बल्कि विशेष रूप से निकट भविष्य में आर्थिक शक्ति के रूप में उभरना भी शामिल है।

इस नीति में व्यक्तित्व के विकास,विशेषकर युवाओ के विकास, सामुदायिक विकास, स्वास्थ्य एवं अच्छा रहन सहन, आर्थिक विकास एवं मनोरंजन तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति व भाईचारे की भावना के विकास में खेल तथा शारीरिक शिक्षा के योगदान को पूरी तरह स्वीकार किया गया है।

इस नीति का लक्ष्य भारत में खेलो के फ्रेमवर्क को और अधिक प्रभावी बनाना

तथा सभी स्वामित्वधारियो की पूर्ण स्वामित्व और सहभागिता को शामिल करना हैं।

खेल नीति

उद्देश्य :

नीति के उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- प्रदेश में ऐसा अनुकूल वातावरण तैयार करना, जिससे ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को खेलों के प्रति आकर्षित किया जा सके।
- प्रदेश के सभी नागरिकों को खेलों में भाग लेने की सुविधा उपलब्ध कराना। · खेलों में जन भागीदारी को प्रोत्साहित करना ।
- खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना।
- उच्च स्तरीय आधारभूत ढांचा तैयार करना, संधारण करना और उसका समुचित उपयोग करना।
- राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना।
- प्रतिभाशाली खिलाडियों को सम्मानित करना तथा इन्हें लगातार Incourage करते रहना होगा ।
- निःशक्त खिलाड़ियों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करते हुए उनकी खेलों में भागीदारी सुनिश्चित करना।
- प्रदेश में साहसिक खेलों को बढ़ावा देना एंव निरन्तर प्रोत्साहन देना ।

खेल नीति पांच पहलुओं पर आधारित रहेगी :

- आधारभूत खेल सुविधाएं
- प्रतिभाओं को चिन्हित करना एवं तराशना
- खिलाड़ियों को प्रोत्साहन
- खेल प्रबंधन
- खेल संघ

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

पदक विजेताओं को नकद पुरस्कारः- - देश व प्रदेस के लिए विभिन्न स्तर की प्रतियोगिताओ ं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धि के लिए हौंसला अफजाई करते हुए आकर्षक नकद पुरस्कार दिए जाएंगे जिससे अन्य खिलाड भी खेलों के प्रति आकर्षित होंगे।

इस दृष्टि से वर्तमान मं दी जाने वाली प्रोत्साहन राषि को अप्रयाप्त महसूस करते हुए राज्य सरकार ने इसमें प्रयाप्त वृद्धि की हैं। प्रतियोगिता एवं पदक के स्तर को देखते हुए राज्य सरकार समय-समय पर इन नकद पुरस्कारों को बढ़ा भी सकती हैं। वर्तमान में राजस्थान क्रीड़ा सहायता अनुदान नियम, 1986 में संशोधन करते हुये

नोट – प्रिय पाठकों , **यह एक sample मात्र हैं** यह अध्याय अभी यहीं समाप्त नही हुआ है, इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको **RAS मुख्य परीक्षा के** कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यह तो एक sample मात्र ही हैं/ **RAS मुख्य परीक्षा के** कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें , धन्यवाद/

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

संपर्क करें – 8233195718, 9694804063, 8504091672

हमारे नोट्स के अन्य परीक्षाओं में रिजल्ट (Result)-

RAS Pre. परीक्षा 2021 में हमारे नोट्स में से 73/74 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 23 अक्तूबर की पहली शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 79 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 23 अक्तूबरकी दूसरी शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 103 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 24 अक्तूबर की पहली शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 96 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 24 अक्तूबर की दूसरी शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 91 प्रश्न आये

राजस्थान SI 2021 की परीक्षा कि परीक्षा में भी कई प्रश्न आये हैं -

Proof देखने के लिए हमारे youtube चैनल (InfusionNotes) पर इसकी वीडियो देंखें या हमारे नंबरों पर कॉल करें /

SAMPLE
INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

अध्याय – 5

योग - सकारात्मक जीवन पद्धति

योग (संस्कृतः *योगः*) एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने (योग) का काम होता है। यह शब्द - प्रक्रिया और धारणा - हिन्दू धर्म,जैन पन्थ और बौद्ध पन्थ में ध्यान प्रक्रिया से सम्बन्धित है। योग शब्द भारत से बौद्ध पन्थ के साथ चीन, जापान, तिब्बत, दक्षिण पूर्व एशिया और श्री लंका में भी फैल गया है और इस समय सारे सभ्य जगत् में लोग इससे परिचित हैं।

प्रसिद्धि के बाद पहली बार ।। दिसम्बर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मान्यता दी है। परिभाषा ऐसी होनी चाहिए जो अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोषों से मुक्त हो, योग शब्द के वाच्यार्थ का ऐसा लक्षण बतला सके जो प्रत्येक प्रसंग के लिये उपयुक्त हो और योग के सिवाय किसी अन्य वस्तु के लिये उपयुक्त न हो। भगवद्गीता प्रतिष्ठित ग्रन्थ माना जाता है। उसमें योग शब्द का कई बार प्रयोग हुआ है, कभी अकेले और कभी सविशेषण, जैसे बुद्धियोग, सन्यासयोग, कर्मयोग। वेदोत्तर काल में भक्तियोग और हठयोग नाम भी प्रचलित हो गए हैं। पतंजलि योगदर्शन में क्रियायोग शब्द देखने में आता है। पाशुपत योग और माहेश्वर योग जैसे शब्दों के भी प्रसंग मिलते हैं। इन सब स्थलों में योग शब्द के जो अर्थ हैं वह एक दूसरे से भिन्न हैं ।

योगः कर्मसु कौशलम् का शब्दार्थ क्या निकलता है ? इसका अर्थ हुआ – योग से ही कर्मों में कुशलता है। यानी कर्मयोग के अनुसार कर्म करने में कुशल व्यक्ति कर्मबंधनों से मुक्त हो जाता है। कर्म में कुशलता का अर्थ है, ऐसी मानसिक स्थिति में काम करना कि व्यक्ति कर्म एकदम अच्छे तरीके से करे और फल की चिंता में पड़कर खुद को व्यग्र न करे।

मनुष्य जीवन में कर्म सर्वोपरि है। जब तक जीवन है कर्म करना ही पड़ता है, कर्म न करने से कष्ट और क्लेश उत्पन्न होता है। कुछ कर्म इच्छा से होते हैं और कुछ कर्म स्वाभाविक होते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव है कि कर्म करने से पहले फल की चिंता होने लगती है। इच्छानुसार फल मिले तो प्रसन्नता होती है और न मिले तो दुख होता है। फल की चिंता करने से मनुष्य कुशलता से कर्म नहीं कर सकता है।

अगर आपको मालूम है कि कोई काम आपको करना ही चाहिए तो आपको इच्छा-अनिच्छा से ऊपर उठकर उसे करना चाहिए। चाहे उसके फल में आपका स्वार्थ सिद्ध हो या न हो।

कोई भी काम छोटा-बड़ा नहीं होता, हर काम को सही से करना आपके अंदर अच्छे गुणों को विकसित करता है। जब मनुष्य के अंदर मेहनत और लगन का भाव आदत बन जाता है तब सुख और सफलता उसे मिलने लगती है।

Yogah Karmasu Kaushalam meaning – Excellence in Action is Yoga :

जब दिमाग सतर्क होता है और आप वर्तमान में रहते हो तो, इस स्थिति को योग कहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से जब हमारा शरीर काम में लगा होता है तो मन भविष्य की कल्पनायें कर रहा होता है, नहीं तो बीते समय की घटनाओं का फ्लैशबैक चला रहा होता है। आज और अभी में जीना, शक्ति को केंद्रित करके कर्म करना ही योग है।

भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को हर कर्म फल की आसक्ति से रहित होकर करना चाहिए। इस मानसिकता से किया गया हर कर्म मनुष्य की निपुणता बढ़ाएगा और विपरीत परिस्थितियों में भी उसका मनोबल बना रहेगा। व्यक्ति को लक्ष्य निर्धारित करके पूर्ण मनोयोग से कर्म करने में योग करना चाहिए यानि जुट जाना चाहिए।

कर्म तो मनुष्य के बस में हैं, लेकिन फल की प्राप्ति बहुत से कारकों पर निर्भर करती है। भविष्य की हर घटना का सही अनुमान तो कोई नहीं लगा सकता लेकिन कुशलता से कर्म करने पर व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं है।

हर कर्म मनुष्य को ज्ञान और अनुभव देता है, जिससे अगर एक बार व्यक्ति को किसी कारणवश सफलता न भी मिल पाए तो अगली बार सफलता की संभावना बढ़ जाती है।

गीता कहती है कि स्वार्थ से किया गया काम आपको माया से बांधता है लेकिन कर्म को ईश्वर का आदेश समझकर उनकी प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो आपका मन शांत, स्थिर होने लगेगा और माया-मोह से उपजने वाले दिमागी क्लेश नहीं होंगे।

योग के प्रकार –

ठीक-ठीक कहना तो मुश्किल है कि योग के प्रकार कितने हैं, लेकिन हम यहां आमतौर पर चर्चा में आने वाले प्रकारों के बारे में बता रहे हैं :

***। राज योग :** योग की सबसे अंतिम अवस्था समाधि को ही राजयोग कहा गया है। इसे सभी योगों का राजा माना गया है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के योगों की कोई-न-कोई खासियत जरूर है। इसमें रोजमर्रा की जिंदगी से कुछ समय निकालकर आत्म-निरीक्षण किया जाता है। यह ऐसी साधना है, जिसे हर कोई कर सकता है। महर्षि पतंजलि ने इसका नाम अष्टांग योग रखा है और योग सूत्र में इसका विस्तार से उल्लेख किया है। उन्होंने इसके आठ प्रकार बताए हैं, जो इस प्रकार हैं -*

यम (शपथ लेना)
नियम (आत्म अनुशासन)
आसन (मुद्रा)
प्राणायाम (श्वास नियंत्रण)
प्रत्याहार (इंद्रियों का नियंत्रण)
धारणा (एकाग्रता)
ध्यान (मेडिटेशन)
समाधि (बंधनों से मुक्ति या परमात्मा से मिलन)

2 ज्ञान योग : ज्ञान योग को बुद्धि का मार्ग माना गया है। यह ज्ञान और स्वयं से परिचय करने का जरिया है। इसके जरिए मन के अंधकार यानी अज्ञान को दूर किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आत्मा की शुद्धि ज्ञान योग से ही होती है। चिंतन करते हुए शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेना ही ज्ञान योग कहलाता है। साथ ही योग के ग्रंथों का अध्ययन कर बुद्धि का विकास किया जाता है। ज्ञान योग को सबसे कठिन माना गया है। अंत में इतना ही कहा जा सकता है कि स्वयं में लुप्त अपार संभावनाओं की खोज कर ब्रह्म में लीन हो जाना है ज्ञान योग कहलाता है

3 कर्म योग : श्रीकृष्ण ने भी गीता में कहा है 'योगः कर्मसु कौशलम्' यानी कुशलतापूर्वक काम करना ही योग है। कर्म योग का सिद्धांत है कि हम वर्तमान में जो कुछ भी अनुभव करते हैं, वो हमारे पूर्व कर्मों पर आधारित होता है। कर्म योग के जरिए मनुष्य किसी मोह-माया में फंसे बिना सांसारिक कार्य करता जाता है और अंत में परमेश्वर में लीन हो जाता है। गृहस्थ लोगों के लिए यह योग सबसे उपयुक्त माना गया है

4 भक्ति योग : भक्ति का अर्थ दिव्य प्रेम और योग का अर्थ जुड़ना है। ईश्वर, सृष्टि, प्राणियों, पशु-पक्षियों आदि के प्रति प्रेम, समर्पण भाव और निष्ठा को ही भक्ति योग माना गया है। भक्ति योग किसी भी उम्र, धर्म, राष्ट्र, निर्धन व अमीर व्यक्ति कर सकता है। हर कोई किसी न किसी को अपना ईश्वर मानकर उसकी पूजा करता है, बस उसी पूजा को भक्ति योग कहा गया है। यह भक्ति निस्वार्थ भाव से की जाती है, ताकि हम अपने उद्देश्य को सुरक्षित हासिल कर सकें ।

5 हठ योग : यह प्राचीन भारतीय साधना पद्धति है। हठ में ह का अर्थ हकार यानी दाईं नासिका स्वर, जिसे पिंगला नाड़ी कहते हैं। वहीं, ठ का अर्थ ठकार यानी बाईं नासिका स्वर, जिसे इड़ा नाड़ी कहते हैं, जबकि योग दोनों को जोड़ने का काम करता है। हठ योग के जरिए इन दोनों नाड़ियों के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में ऋषि-मुनि हठ योग किया करते थे। इन दिनों हठ योग का प्रचलन काफी बढ़ गया है। इसे करने से मस्तिष्क को शांति मिलती है और स्वास्थ्य बेहतर होता है ।

6 कुंडलिनी/लय योग : योग के अनुसार मानव शरीर में सात चक्र होते हैं। जब ध्यान के माध्यम से कुंडलिनी को जागृत किया जाता है, तो शक्ति जागृत होकर मस्तिष्क की ओर जाती है। इस दौरान वह सभी सातों चक्रों को क्रियाशील करती है। इस प्रक्रिया को ही कुंडलिनी/लय योग कहा जाता है। इसमें मनुष्य बाहर के बंधनों से मुक्त होकर भीतर पैदा होने वाले शब्दों को सुनने का प्रयास करता है, जिसे नाद कहा जाता है। इस प्रकार के अभ्यास से मन की चंचलता खत्म होती है और एकाग्रता बढ़ती है ।

योगासन के फायदे – Yoga Benefits

योग तीन स्तरों पर काम करते हुए व्यक्ति को फायदा पहुंचा सकता है। इस लिहाज से योग करना सभी के लिए सही है।

पहले चरण में यह मनुष्य को स्वास्थ्यवर्धक बनाते हुए उसमें ऊर्जा भरने का काम करता है ।

दूसरे चरण में यह मस्तिष्क व विचारों पर असर डालता है। हमारे नकारात्मक विचार ही होते हैं, जो हमें तनाव, चिंता या फिर मानसिक विकार में डाल देते हैं। योग इस चक्र से बाहर निकालने में हमारी मदद करता है ।

योग के तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण चरण में पहुंचकर मनुष्य चिंताओं से मुक्त हो जाता है। योग के इस अंतिम चरण तक पहुंचने के लिए कठिन परिश्रम की जरूरत होती है। इस प्रकार योग के लाभ विभिन्न स्तर पर मिलते हैं।

आइए, अब जानते हैं कि योग के आसन किस प्रकार हमें सेहतमंद रखता है।

योगासन के आंतरिक स्वास्थ्य लाभ –

नियमित योग करने पर आंतरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर दिख सकता है। इससे कई समस्याओं को पनपने से रोका और उनके लक्षणों को कम किया जा सकता है। बस योग का लाभ पाने के लिए इसे रोजाना करते रहें।

। रक्त प्रवाह : जब शरीर में रक्त का संचार बेहतर होता है, तो सभी अंग बेहतर तरीके से काम करते हैं। एनसीबीआई (नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन) की वेबसाइट पर प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, योग करने से पूरे शरीर के रक्त संचार में सुधार हो सकता है। यही नहीं, हीमोग्लोबिन और लाल रक्त कोशिकाओं के स्तर को भी बढ़ावा मिल

सकता है। इससे हृदय संबंधी रोग और खराब लिवर की परेशानी कम होने के साथ ही मस्तिष्क को ठीक से काम करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा, योग करने से शरीर के सभी अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल सकती है ।

2 संतुलित रक्तचाप : गलत जीवनशैली के कारण कई लोगों रक्तचाप की समस्या से जूझते हैं। अगर किसी को रक्तचाप से जुड़ी कोई भी परेशानी है, तो आज से ही किसी योग प्रशिक्षक की देखरेख में योग करना शुरू कर

नोट – प्रिय पाठकों , **यह एक sample मात्र है** यह अध्याय अभी यहीं समाप्त नही हुआ है, इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको **RAS मुख्य परीक्षा के** कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यह तो एक sample मात्र ही है/ **RAS मुख्य परीक्षा के** कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें , धन्यवाद/

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

संपर्क करें – 8233195718, 9694804063, 8504091672

हमारे नोट्स के अन्य परीक्षाओं में रिजल्ट (Result)-

RAS Pre. परीक्षा 2021 में हमारे नोट्स में से 73/74 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 23 अक्तूबर की पहली शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 79 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 23 अक्तूबरकी दूसरी शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 103 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 24 अक्तूबर की पहली शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 96 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 24 अक्तूबर की दूसरी शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 91 प्रश्न आये

राजस्थान SI 2021 की परीक्षा कि परीक्षा में भी कई प्रश्न आये हैं -

Proof देखने के लिए हमारे youtube चैनल (InfusionNotes) पर इसकी वीडियो देंखें या हमारे नंबरों पर कॉल करें /

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

व्यवहार

अध्याय – I

बुद्धि : संज्ञानात्मक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि - सांस्कृतिक बुद्धि आध्यात्मिक बुद्धि

- **बुद्धि -**

1. बुद्धि एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसमे जटिलता का अंदाज़ इसी बात से लगाया जा सकता है। कि प्राचीन समय से लेकर आज तक बुद्धि की सर्व स्वीकृत परिभाषा नहीं दी जा सकी।
2. बुद्धि की सर्वप्रथम संकल्पना देने का कार्य यूनानियो ने किया जिन्होंने बुद्धि को शक्ति का मनोविज्ञान माना।
3. इसके पशचात बुद्धिकी सर्वप्रथम परिभाषा 19 वी शताब्दी में ऐविगहास ने दी जिनके अनुसार बुद्धि संकलन और मिश्रण की एक योग्यता है।
4. इसके पशचात बिने ने बुद्धि सम्बन्धी अध्ययन में संशोधन करके सन 1911 ई0 में बताया कि बुद्धि बोध पर आधारित उद्देश्य पूर्ण तथा सही निर्णयों पर आधारित खोज परकता के रूप में
5. इसी समय अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि के आधार पर निम्नलिखित तीन प्रकार के बालक स्वीकार किये।

- पहला- प्रतिभाशाली बालक
- दूसरा- सामान्य बालक
- तीसरा- मंदबुद्धि बालक

6. **द्विव तत्व बुद्धि का सिद्धांत**

बुद्धि के दीव कारक सिद्धान्त का प्रतिपादन स्पीयर मैंन ने सन 1904 में किया था।

- इनके अनुसार की बालक में दो कारक होते है
- G- FACTOR - GENERAL FACTOR (सामान्य कारक)
- S FACTOR – SPECIFIC FACTOR (विशिष्ट कारक)
- किसी भी बालक को सामान्य कारक एक जैसे मिलते है जब कि विशिष्ट कारक अनेक मिलते है।
- सामान्य कारक (G) सभी को जन्म से मिलता है लेकिन सभी के जन्मजात कारक की मात्रा में अंतर होता है। और जन्मजात है। यह कारक अपरिवर्तन होता है।
- जबकि विशिष्ट कारक अर्जित होता है। जिस कारण ये परिवर्तन होता है।
- बुद्धि के प्रत्येक विशिष्ट कारक का सम्बन्ध सामान्य कारक से होता है।
- किसी भी बालक की बुद्धि का कोई विशिष्ट कारक जितने अच्छे तरीके से सामान्य कारक से सम्बंधित होता है। यह बालक इस विशिष्ट क्षेत्र में उतना ही अधिक निपुण होता है।

7. इसके पशचात बिने ने बताया कि बुद्धि के अंतर्गत किसी समस्या को समाधान इसके विषय में तर्क करना तथा निशचित निर्णय पर पहुचना उसकी आवश्यक क्रियाये है।

8. **<u>टर्मन के अनुसार</u>**

अमूर्त वस्तुओ के विषय में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है।

9. **<u>वर्त के अनुसार</u>**

बुद्धि अपेक्षाकृत नई पारिस्थितियो में समायोजन करने की क्षमता है।

<u>बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत</u>

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

- इस सिध्दांत का प्रतिपादन अल्फ्रेड बिने ने सन 1911 में किया था |
- इस सिद्धांत के अन्य प्रमुख समर्थको में टर्मन , स्टरन ऐविगहास का नाम प्रसिद्ध है|
- अल्फ्रेड बिने के इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी बालक की बुद्धि अविभाज्य इकाई है|
- कोई भी बालक जब मानसिक कार्य करता है तो इसकी सम्पूर्ण बुद्धि सक्रिय होकर एक समय में एक ही प्रकार का कार्य संचालित करती है|

कुछ समय पशचात इस सिदान्त का खंडन करते हुए मनोवैज्ञानिक ने बतलाया की यह सत्य नहीं है| कि जो बालक गणित में निपुण है| वह कला में निपुण नहीं हो सकता अर्थात हमारी बुद्धि एक ही

नोट – प्रिय पाठकों , **यह एक sample मात्र है** यह अध्याय अभी यहीं समाप्त नही हुआ है, इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको **RAS मुख्य परीक्षा के** कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यह तो एक sample मात्र ही है| **RAS मुख्य परीक्षा के** कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें , धन्यवाद|

संपर्क करें – 8233195718, 9694804063, 8504091672

हमारे नोट्स के अन्य परीक्षाओं में रिजल्ट (Result)-

RAS Pre. परीक्षा 2021 में हमारे नोट्स में से 73/74 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 23 अक्तूबर की पहली शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 79 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 23 अक्तूबरकी दूसरी शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 103 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 24 अक्तूबर की पहली शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 96 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 24 अक्तूबर की दूसरी शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 91 प्रश्न आये

राजस्थान SI 2021 की परीक्षा कि परीक्षा में भी कई प्रश्न आये हैं -

Proof देखने के लिए हमारे youtube चैनल (InfusionNotes) पर इसकी वीडियो देंखें या हमारे नंबरों पर कॉल करें।

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

अध्याय – 3

स्त्रियों एवं बालकों के विरुद्ध अपराध-

विश्व में समय – समय पर महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठती रही है। इनमें भारत भी शामिल है। भारत में महिलाएँ सामाजिक रीति – रिवाजों द्वारा शोषित और दमित होती रही हैं।

इन अपराधों के निवारण में कमी एवं रोक हेतु विधान की आवश्कता थी। इसलिए समय – समय पर भारतीय संसद ने महिलाओं से संबंधित विधि का निर्माण किया है। भारतीय संविधान में भी महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने करने के पूर्ण प्रयास किए गए हैं।

हिंसा - किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के विरुद्ध उन्हें किसी प्रकार के शारीरिक या मानसिक आघात पहुँचाने उद्देशों के लिए किये गए शक्ति के प्रयोग को हिंसा कहते हैं।

अपराध - जान बूझ कर किया गया कोई भी ऐसा कार्य जो समाज विरोधी हो या किसी भी प्रकार से समाज द्वारा निर्धारित आचरण का उल्लंघन अथवा जिसके लिए दोषी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी) के अंतर्गत विधि द्वारा निर्धारित सजा दिया जाता हो ऐसे काम अपराध कहलाते हैं।

उपयुक्त परिभाषा के आधार पर यह कहना गलत नही होगा कि हिंसा और अपराध दोनों का एक - दूसरे से सीधा संबंध रखते है। ऐसी कोई भी क्रिया - कलाप जिससे किसी व्यक्ति विशेष या समूह, समुदाय, समाज की भावनाएँ और स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े और व्यवस्थाओं में आवांछित प्रभाव पड़े, वे सभी हिंसा और अपराध के श्रेणी में रखें जायेंगे। अपराध को हम एक उदाहरण के तौर पर भी समझ सकते है -

अपराध मनुष्य जाति के लिए जंगल में लगने वाले आग की तरह है, जिसे समय पर न रोका जाए तो आने वाले समय में यह विध्वंसकारी रूप धारण कर लेती है और यह समूचे मानव जाति के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकती है।

अपराध मनुष्य जाति के लिए जंगल में लगी आग की भांति होती है अगर इसे समय रहते नहीं रोका जाए तो यह भयंकर विध्वंस का रूप धारण कर मानव जाति पर एक प्रश्न खड़ा कर सकती है।

महिला अपराधों से संबंधित अति महत्त्व विधि -

1. हिन्दू विधवाओं 'पुनर्विवाह अधिनियम, 1856

2. भारतीय दंड संहिता, 1860

3. भारतीय साक्ष्य, 1872 अधिनियम

4. भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872

5.1882 संपत्ति अधिनियम का स्थानांतरण

6. रखवालों और वार्ड अधिनियम, 1890

7. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

8. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925

9.बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 1929

10. संपत्ति अधिनियम, हिंदू महिलाओं के अधिकार, 1937

11.पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936

12.मुस्लिम विवाह का विघटन, अधिनियम 1939

13.कारखाना अधिनियम, 1948

14.कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

15. भारत का संविधान, 1950

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

16. खान अधिनियम, 1952

17.विशेष विवाह अधिनियम, 1954

18.हिंदू विवाह अधिनियम, 1955

19.किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 1956

20.हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956

21.हिंदू को गोद देने और भरण - पोषण अधिनियम, 1956

22.अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956

23. दहेज निषेध अधिनियम, 1961

24. मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961-1965

25. विदेश विवाह अधिनियम, 1969

26. गर्भावस्था अधिनियम की मेडिकल टर्मिनेशन, 1971

27. दंड प्रक्रिया संहिता, अधिनियम 1973

28.परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984

29.महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986

30.मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1986

31.सती की आयोग (निवारण) अधिनियम, 1987

32.विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987

33. जाति अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989

34. महिला अधिनियम, के लिए राष्ट्रीय आयोग, 1990

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

35. मानव अधिकारों के संरक्षण अधिनियम, 1993

36. पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व Dignostic तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध), 1994 के कानून

37. पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध) अधिनियम, 1996

38. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000

39. गर्भावस्था के विनियम के मेडिकल टर्मिनेशन, 2003

40.महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005

41.विधेयक के मसौदे "विवाह अधिनियम 2005 के अनिवार्य पंजीकरण"

42.वृद्धजन 'रख - रखाव, देख-भाल और संरक्षण विधेयक, 2005

43.महिलाओं का संरक्षण, अधिनियम 2005

44. घरेलू हिंसा कानून से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005

45.परिवार न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2005

46. निषेध का बाल विवाह अधिनियम , 2006

47. रख- रखाव और माता-पिता के कल्याण और वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, 2007

48. राजस्थान महिला एवं बाल विकास (राज्य और अधीनस्थ) सेवा नियमावली, 1998

49. राजस्थान महिला विकास सेवा नियम, 2008

50.घरेलू कामगार कल्याण और सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2010

51. 'ऑनर' के नाम में अपराधों की रोकथाम और परंपरा विधेयक, 2010

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

52. राजस्थान महिला (अत्याचार से रोकथाम और संरक्षण) का मसौदा विधेयक, 2011

53. कार्यस्थल (रोकथाम, निषेध और निवारण) में महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013

54. आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013

55. राजस्थान विशेष न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2013

महिला सम्बंधित अपराध

विश्व भर में महिलाओं से संबंधित अपराध देखे जा सकते हैं। इनमें हमारा देश भी शामिल है। जिन्हें भारतीय समाज में भी देखा जाता है -

महिलाओं से सम्बंधित अपराधों की श्रेणी में उनके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, यौन एवं भावनात्मक उत्पीड़न शोषण शामिल है। भारत में महिलाओं पर होने वाले अपराध चैंकाने वाले हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार प्रति वर्ष महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के लगभग 3 लाख से ज्यादा मामले दर्ज होते हैं, जिनमें छेड़छाड़ मार-पीट, अपहरण, दहेज उत्पीड़न से लेकर बलात्कार एवं मृत्यु तक के मामले शामिल हैं।

उपर्युक्त महिला सम्बंधित अपराधों को रोकने, उनसे निपटने तथा उन अपराधों से महिलाओं के संरक्षण के लिए बनाए गए कानून निम्नलिखित हैं: सर्वप्रथम वर्ष 1950 में भारतीय संविधान में बच्चों एवं महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दिया गया। भारतीय संविधान राज्य को यह अधिकार देता है, कि वह स्त्रियों और बालकों के कल्याण के लिए विशेष उपाय कर सकता है।

भारतीय दंड संहिता 1860 भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी) 1860 एक व्यापक कानून है जो भारत में आपराधिक कानून के वास्तविक पहलुओं को शामिल करता है। यह भारत के

किसी भी नागरिक द्वारा किये गए अपराधों के बारे में बताता है एवं उनमें से प्रत्येक के लिए सजा और जुर्माना बताता है। भारतीय दंड संहिता पूरे भारत में लागू है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अनुसार - स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, धारा 354 – A - यौन उत्पीड़न के लिए सजा, धारा 354 B. बल पूर्वक या हमले द्वारा किसी स्त्री को नग्न करना या नग्न होने के लिए विवश करना, धारा 354 C ताक - झाक करना, धारा 354 D पीछा करना एवं धारा 509 - शब्द, अंगविक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है।

प्रावधान –

1 से 7 वर्ष तक कारावास

आर्थिक दंड

या दोनों से

यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

इसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा एवं गरिमा को सुरक्षित करना है।

भारतीय दण्ड संहिता संशोधित अधिनियम 2018:-

6 अगस्त, 2018 को बलात्कार के मामलों में फांसी की सजा आपराधिक कानून (संशोधन) विधयेक, राज्य सभा में पारित हुआ ।

लोक सभा में यह 30 जुलाई, 2018 में पारित हुआ था ।

इस विधेयक में महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक प्रावधान किए गए हैं।

FREE SAMPLE

यह विधेयक भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 166-A, 228-A, तथा 376 में संशोधन करता है तथा तीन नई 376-AB, 376-DA और 376-DB जोड़ता है।

देश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों (खास कर यौन उत्पीड़न) के लिए सख्त सजा सुनिश्चित करने के लिए देश भर में ये कानून लागू किया गया है। नए कानून में बलात्कार की परिभाषा को व्यापक बनाते हुए इसके लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। बलात्कार के मामले में पीड़ित की मौत हो जाने या उसके स्थायी रूप से मृतप्राय हो जाने की स्थिति में मौत की सजा का प्रावधान भी इस कानून में किया गया है। सामूहिक बलात्कार की स्थिति में दोषियों के लिए धारा 376 D के तहत सजा की अवधि न्यूनतम 20 वर्ष रखी गयी है, जो आजीवन कारावास तक हो सकती है। कानून में सहमति से यौन सम्बन्ध बनाने की उम्र 18 साल तय की गयी है। महिलाओं का पीछा करने एवं ताक - झाक पर कड़े दंड का प्रावधान है। ऐसे मामले में पहली बार में गलती हो सकती है, इसलिए इसे जमानती रखा गया है, लेकिन दूसरी बार ऐसा करने पर इसे गैर जमानती बनाया गया है। तेजाबी हमला करने वालों के लिए 10 वर्ष की सजा का भी कानून में प्रावधान किया गया है। इसमें पीड़ित को आत्मरक्षा का अधिकार प्रदान करते हुए, तेजाब हमले की अपराध के रूप में व्याख्या की गयी है। साथ ही यह प्रावधान किया गया है कि सभी अस्पताल बलात्कार या तेजाब हमला पीड़ितों को तुरंत प्राथमिक सहायता या निःशुल्क उपचार उपलब्ध करायेंगे और ऐसा करने में विफल रहने पर उन्हें सजा का सामना करना पड़ेगा। कानून में कम से कम 7 साल की सजा का प्रावधान है, जो प्राकृतिक जीवन-काल तक के लिए बढ़ाई जा सकती है और यदि दोषी व्यक्ति पुलिस अधिकारी, लोकसेवक, शस्त्र बलों या प्रबंधन या अस्पताल का कर्मचारी है तो उसे जुर्माने का भी सामना करना पड़ेगा। कानून में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन किया गया है जिसके तहत बलात्कार पीड़िता को, यदि वह अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हो जाती है तो उसे अपना बयान दुभाषियों या विशेष एजुकेटर की मदद से न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराने की अनुमति दी गयी है। ये अधिनियम संशोधित भारतीय दंड संहिता का एक अंग हैं।

दंड प्रक्रिया संहिता (सी.आर.पी.सी) 1973 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 भारत में आपराधिक कानून के क्रियान्वयन के लिए मुख्य कानून है। 1973 में पारित होकर यह कानून 1974 में लागू हुआ दंड प्रक्रिया सहिता के अंतर्गत हमेशा दो प्रक्रियाएँ होती हैं, जिन्हें पुलिस अपराध की जांच करने में अपनाती है।

दहेज निषेध अधिनियम 1961 (संशोधित 1986) दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 2 को दहेज (निषेध) अधिनियम 1984 और 1986 के अंतर्गत लेने - देने या इसके लेन - देन में सहयोग करना दोनों अपराध है। दहेज लेने - देने, या इसके लेन - देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपए के जुर्माना का प्रावधान है।

दहेज लेने और देने या दहेज लेने और देने के लिए उकसाने पर या तो 6 महीने का अधिकतम कारावास है या 5000 रुपये तक का जुर्माना अदा करना पड़ता है। बाद में संशोधन अधिनियम के द्वारा इन सजाओं को भी बढ़ाकर न्यूनतम 6 महीने और अधिकतम 10 साल की कैद की सजा तय कर दी गयी । वहीं जुर्माने की रकम को बढ़ाकर 10,000 रुपये, कर दी गयी या मांगी गयी दहेज की रकम, दोनों में से जो भी अधिक हो, के बराबर कर दिया गया है। हालाँकि अदालत ने न्यूनतम सजा को कम करने का फैसला किया है लेकिन ऐसा करने के लिए अदालत को जरूरी और विशेष कारणों की आवश्यकता होती है (दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4) दंडनीय है- दहेज देना, दहेज लेना, दहेज लेने और देने के लिए उकसाना एवं वधु के माता-पिता या अभिभावकों से सीधे या परोक्ष तौर पर दहेज की मांग करना।

भारतीय दंड संहिता की धारा 498 A निर्ममता तथा दहेज के लिए उत्पीड़न,

धारा 498 A के अनुसार – जो कोई, किसी स्त्री का पति या पति के नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से

नोट – प्रिय पाठकों , **यह एक sample मात्र है** यह अध्याय अभी यहीं समाप्त नही हुआ है, इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको **RAS मुख्य परीक्षा के** कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यह तो एक sample मात्र ही है/ **RAS मुख्य परीक्षा के** कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें , धन्यवाद/

संपर्क करें – 8233195718, 9694804063, 8504091672

हमारे नोट्स के अन्य परीक्षाओं में रिजल्ट (Result)-

RAS Pre. परीक्षा 2021 में हमारे नोट्स में से 73/74 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 23 अक्तूबर की पहली शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 79 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 23 अक्तूबरकी दूसरी शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 103 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 24 अक्तूबर की पहली शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 96 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 24 अक्तूबर की दूसरी शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 91 प्रश्न आये

राजस्थान SI 2021 की परीक्षा कि परीक्षा में भी कई प्रश्न आये हैं -

Proof देखने के लिए हमारे youtube चैनल (InfusionNotes) पर इसकी वीडियो देखें या हमारे नंबरों पर कॉल करें /

FREE SAMPLE

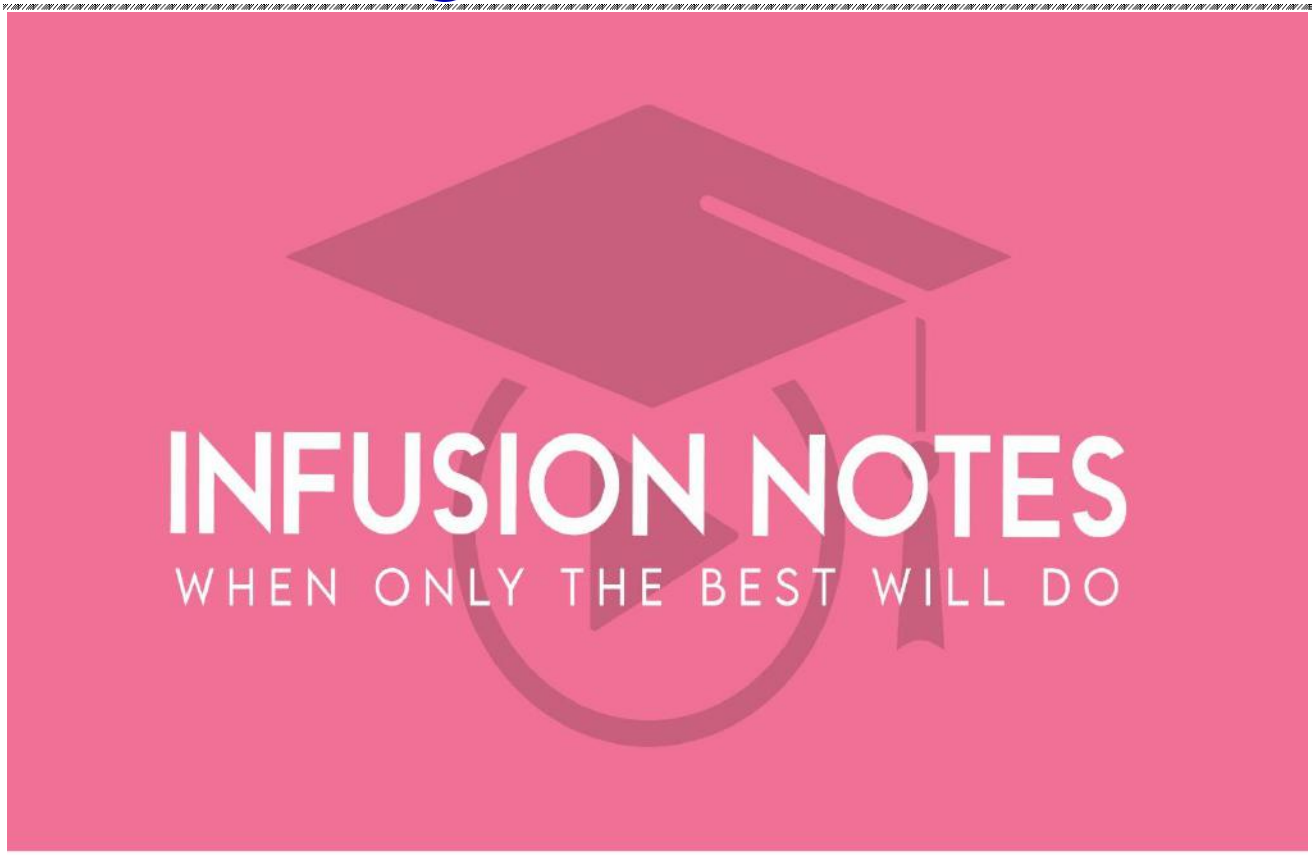

AVAILABLE ON/

01414045784

contact@infusionnotes.com

http://www.infusionnotes.com/